### OFFICE OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, MANDI FOREST DIVISION, MANDI , HP 175001

Phone & Fax 01905-235360, e-mail-dfomandi@gmail.com

No./RK./-802-----

Dated 05 - 05 - 2025

From :-

DCF Mandi

To:- CF (T) Mandi

Subject:-

Diversion of 0.3253 ha of forest land in favour of Jal Shakti Vibhag for the Augmentation of Sewerage Scheme for Mandi town and providing sewerage facility to adjoin villages of Mandi Town Tehsil Sadar District Mandi HP within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/OTHER/123920/2021).

Memo:

भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या/8बी/एच0पी0/09/86/2021/एफ.सी./191 दिनांक/29.07.2021 के संदर्भ में लगाई गई शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण व इस कार्यालय के द्वारा पूर्ण कर ली गई है तथा सम्बधित रिपोर्ट आपके कार्यालय को निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है:—

कम संख्या	शर्ते	उतर
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। जिसकी बचन बद्धता साथ संलग्न है।
2.	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	8
3	प्रतिपूरक वनीकरणः (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 650 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतू आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.650 ha area (वर्तमान दरों की समाहित करते हुये यथासंशांधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाये।	प्रतिपूरक पौधारोपण से सम्बन्धित प्रस्तावना में कुल अनुमोदित राशी रूपये 880912 / — है, जिसमें से प्रतिपूरक पौधरोपण राशी रूपये 553917 / — तथा रूपये

	प्रति साथ सलंग्न	
4	(ख) राज्य सरकार, पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र इस आशय से का नाम एवं Geo-coordinates अंकित करते हुये योजना के सा डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र को नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।  प्रितपूरक वनीकरण की भूमि, यदि आवश्यक हो तो अधोहस्ताक्षरी के साथ) की प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित जारी किये ग प्रतिपूरक वनीकरण वी लागत एवं प्रतिपूरक पौध सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्रस्तावना में प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक जिसका विवरण अनुरक्षित एवं संधारित किया जायेगा। इस योजना में दिया गया है	सम्बन्धित पौधरोपण ध्य क्षेत्र का नाम व व्यत्र (Geo-coordinates ति साथ सलंग्न है। के कार्यालय के द्वारा विशे बिलों के अनुसार वारोपण से सम्बन्धित कुल अनुमोदित राशी वा कर दिया गया है वा proforma 3(क) में
	भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत सलंग्न है। वृध्दि हेतू उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	नीय सर्वोच्च न्यायलय के
5	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च दिशानिर्देशानुः वतमान मूल्यः (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च दिशानिर्देशानुः वारा इस प्रस् 556 दिनांक 30.10.2002,01.08.2003,24.04.2008 एवं वन क्षे० के 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक वर्तमान 5–1/1998–एफ.सी.(Pt. 2) दिनांक18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी., दिनांक 03.10.2006 एवं दी गई हैं। 5–3/2007—एफ.सी., दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.3253 हे० वन क्षे० के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सार प्रयोक्ता अभिकरण ताव के तहत 0.3253 है0 प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध मूल्य की रूपये राशि कैम्पा में जमा कर
	(ख)।वशवज्ञ सानात स गर्यां प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुध्द के शुध्द व	ना में प्रत्यावर्तित वन भूमि र्तमान मुल्य की अतिरिक्त म्बन्धित अंडरटेकिंग साथ

	अभीकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	
6	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख रेख में रोपत कर Greenery को maintain करने के बाबत undertaking प्रस्तुत किया जायेगा।	उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी। जिसकी बचन बद्धता साथ संलग्न है।
7	राज्य सरकार एफ०आर०ए०,2006 के अंर्तगत निर्धारित प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित annexures के साथ इस कार्यलय में विविध स्वीकृति से पूर्व प्रस्तूत करेगी।	एफ0आर0ए0,2006 के अंर्तगत निर्धारित प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित annexures के साथ संलग्न है।
8	माननीय उच्च न्यायलय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in wp (c) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ0 सीo एo के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई है। अतः राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायलय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिए जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृत आदेश जारी करेगी।	उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी। जिसकी बचन बद्धता साथ संलग्न है।
9	राज्य सरकार द्वारा पार्ट—5 में uploaded "recommendation" नही लिखा गया है। अतः राज्य सरकार संशोधित recommendation (संस्तुति) पार्ट—5 में अपलोड करेगी जिसमें "recommended" लिखा हो।	ਧਾਰੀ–5 में uploaded
10	राज्य सरकार पार्ट-1 के पैरा-H में पर्यावरण स्वीकृति के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी को स्पष्ट करेगी।	प्रस्तावित रक्वा 5 हे0 से कम है इसलिये पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
11	आस-पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी । जिसकी बचन बद्धता साथ संलग्न है।
12	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन	प्रस्तावना से सम्बन्धित धन राशि ई0

	केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण	पोर्टल के माध्यम से ही जमा की गई
	कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में	है।
	स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
13	अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति	
	(EC)यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	जायेगी। जिससे सम्बन्धित बचन
	(LC) 414 Cir ger in xi xi xi xi xi	बद्धता साथ संलग्न है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले	प्रस्तावना का ले आऊट प्लान नहीं
1-1	आऊट प्लान नहीं बदला जाएगा।	बदला जाएगा। सम्बन्धित बचन बद्धता
		साथ संलग्न है।
15	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक	उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी
	शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	जिसकी बचन बद्धता साथ संलग्न है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग	उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी
	अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के	
	किसी अन्य कानूनी स्प्रोत से पर्याप्त लकड़ी , विशेषतः	
	वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	
17	संम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार,	उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी
	प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत	जिसकी बचन बद्धता साथ संलग्न है।
	पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	
	जिस पर फारवर्ड / बैकवर्ड बेयरिंग अंकित हों।	
18	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के	उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी
	अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किय	जिसकी बचन बद्धता साथ संलग्न है।
	जायेगा।	
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रत्यावर्तन हेत्	उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी
	प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी	1
	अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित	1
	नही की जाएगी।	
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंधन वन (संरक्षण	) उक्त शर्त की अनुपालना की जाये
	अधिनियम 1980 का उल्लंधन होगा एवं पर्यावरण, वर	
	और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशनिर्देश फाइर	Str. 1
	संख्या11-42/2017-FCदिनांक 29/01/2018 व	र्व

	अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	
21	550 550 550	
21	पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वार	। उक्त शर्त की अनुपालना की जाये
	वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित मे	जिसकी बचन बद्धता साथ संलग्न है
	समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार	उक्त शर्त की अनुपालना की जाये
	मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से	जिसकी बचन बद्धता साथ संलग्न है
	तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के	The second street of the second secon
	पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता	
	अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर	1
	मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने	
	का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने	I .
	हेतू दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य	
	के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण	
	एवं सूधार कार्य योजनानुसार समयबध्द तरीके से वन	
	विभाग की देख रेख में पूरा किया जायेगा। मलवा	
	निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमित नही	
	होगी।	
3	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद	उक्त शर्त की अनुपालना की जायेगी
	/निगम /न्यायलय आदेश /अनुदेश आदि इस	जिसकी बचन बद्धता साथ संलग्न है।
	प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी	
	अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता अभिकरण की	
	जिम्मेवारी होगी।	
4	सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड़ की	सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल
		पर अपलोड कर दी गई है। जिसकी
		बचन बद्धता साथ संलग्न है।

अतः यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया इस प्रस्तावना में भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम,1980 के अर्न्तगत अंतिम स्वीकृति प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त करके इस कार्यालय को अवगत करवाने की कृपा करें।

### Encl:AA

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi HP Phone No. 01905 235360

I Raj Kumar Saini , Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that the forest land legal situation will be unchanged.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi. Executive Engineer, Jal Shakti Division Mandi,

Distt.Mandi (P.H).

I Raj Kumar Saini , Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that no none forest land is involved in the project.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

Subject:

Diversion of 0.3253 ha of forest land in favour of Jal Shakti Vibhag for the Augmentation of Sewerage Scheme for Mandi town and providing sewerage facility to adjoin villages of Mandi Town Tehsil Sadar District Mandi HP within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/OTHER/123920/2021).

### Undertaking

#### Stipulation No. :- 3 क

प्रतिपूरक पौधारोपण से सम्बन्धित प्रस्तावना में कुल अनुमोदित राशी रूपये 880912/—है, जिसमें से प्रतिपूरक पौधरोपण राशि रूपये 553917/—तथा रूपये 326995/—एन0 पी0 वी0 को कैम्पा में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी गई है। इसके साथ जहां तक व्यवहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा एकल प्लांटेशन से बचा जायेगा।

Deputy Conservator of Forests, Mandi Forest Division, Mandi HP

T/T	PA	PROFORMA OF DEPOSIT OF FUNDS	
	PARTICULARS	DETAILS	
	State/District/Forest Division to	HP/Mandi/Mandi Forest Division	
-	which the proposal related.  Name of User Agency, Nature of proposal	Executive Engineer, Jal Shakti Division Mandi, HP	District Mandi
		0.3253 ha	
3	Extent of Forest Area involved	Original	
4	Whether original or extension.		
5	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so specify	- (2001/PG/101 dated 29.07	2021
6	Date of 1st stage clearance	8B/HP/09/86/2021/FC/191 dated 29.07	
7	Extent of CAMPA charges head wise		
	Viz. (a) Compensatory Afforestation	553917/-	(
-	(b) Additional CA		
_	(c) Penal CA	0	
_	(d)Catchment Area Treatment	0 -	
_	(e) Wild life Management Plan	0 -	
	(f) Additional charges for diversion of Area felling under notified /protected	0 -	
	area	326995/-	
	(g) Net present value (h)Any other charges levies(Pi. specify		
	Detail of bank Draft (Bank draft No. 8 date and amount) head wise against item indicated in paragraph above.		00010/ star
	Whether deposited by RTGS, of so the particular and date of remittance.	the amount against CAMPA Rs 880912/- standard deposited by the User Agency vide UTR RBI0892542686831 on dated/29.03.2025	
		The another amount deposited by the remittance (Govt. Revenue) in Forest thas under:-	ie detail 10 g
		Particular	Amount
	10 Any other remarks	Departmental charges	96935/-
		The control of the co	NIL
	A	Relevant Challan Copies are enclosed he reference.	erewith for reac

Deputy Conservator of Forests Mandi Forest Division, Mandi H.P

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that an amount i.e Rs. 880912 /- only (Eight Lakhs eighty thousand Nine hundred twelve) only has been deposited in the ADHOC CAMPA account no. CAMPAHP 53140970127 by the user agency.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.





#### NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 01-03-2025

Agency Name.	JAL SHAKTI VIBHAG GOVT. OF HIMACHAL PRADESH
Application No.	199123920020
MoEF/SG File No.	8B/HP/09/86/2021/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	JAL SHAKTI BHAWAN TUTIKANDI SHIMLAShimla
Amount(in Rs)	880912/-

Amount In Words : Eight Lakh Eighty Thousand Nine Hundred and Twelve Rupees Only

#### NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15070199123920020 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**NEFT RTGS CHALLAN** 

BANK COPY

E 502

)aled....





NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 01-03-2025

Agency Name.	JAL SHAKTI VIBHAG GOVT. OF HIMACHAL PRADESH
Application No.	199123920020
MoEF/SG File No.	8B/HP/09/86/2021/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address:	JAL SHAKTI BHAWAN TUTIKANDI SHIMLA Shimla
Amount(in Rs)	880912/-

Amount in Words : Eight Lakh Eighty Thousand Nine Hundred and Twelve Rupees Only

#### NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15070199123920020 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

Back

### PAYEE MISCELLANEOUS PAYMENT REPORT (other than eSalary/ePension)

- Date From

01/03/2025 To

30/04/2025

Sr No Payee ID	Payee Name	PayOrder Dt Bill No	Bank A/C	Net Amount
			Total	₹ 880912.00
MDI00-703	EE JSV DIVISION MANDI		DDO Total	₹ 880912.00
1 \$000006606	HIMACHAL PRADESH CAMPA UTRNo:RBI0892542686831	29/03/2025 MDI00/703/0024/120757	15XXXXX9123920 020	880912.00
			Grand Total	₹ 880912.00

### E-CHALLAN Government Of HImachal Pradesh Treasuries, Accounts & Lotteries ip nce Department of **Remmiter Copy** 06-Feb-2025 Valid Upto Date 31-01-2025 03:40:40PM B25A122731 HIMGRN Department Forest BarCode Period MDI00-814- FOREST DIVISION MANDI Head 0406-01-800-18-OTHER MISCELLANEOUS RECEIPT Total/Net Amount Ninty Six Thousand Nine Hundred Thirty Five In words Payee Detail 39606 Licence/Vehicle/Permit/TIN no. OTHER MISCELLANEOUS RECEIPTS executive Engineer Remitter Name:-Motipur Mandi Mob: 8894627005 Address:-FOR USE IN RECEIVING BANK HIMGRN Bank CIN No

B25A122731

₹Amount

96935

96935

Amount

₹ 96935

Bank

MANAGER, SBI MANDI

Cheque-DD-No.

NIC-HP

B25A122731 Jal Shakti Division Mandi

e-Challan (IFMS)

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that The C.A area's geo\_coordinates and digital Map already uploaded in Moef Portal by the user agency.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that wages prevailing on the land of CA, if necessary, as per CA scheme, cost of CA of survey, demarcation and pillaring at rates by the project authority will be deposited with the forest department in advance by the user agency compensatory Afforestation maintained for 10 year will be maintained by the user agency.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that an amount of NPV i.e Rs. 266995/- only (Two Lakhs Sixty Six thousand and Nine hundred Ninety Five) only has been deposited in the ADHOC CAMPA account no. CAMPAHP 53140970127 by the user agency.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that if additional amount of NPV is due after finalization will be paid by the user agency.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi. Executive Engineer,

Jal Shakti Division Mand

Jal Shakti Division Mandi, Distt.Mandi (P.H).

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that in order to maintain greenery the vacant land around the proposed area shall be planted with local species of trees under the supervision of the forest department by the user agency

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that the all requisite details of FRA-2006 attached and uploaded on the Moef portal.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that this point pertain to higher office.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that this point pertain to higher office.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that the Proposed / transferred land leas than 5 hect. therefore no need for environment permission.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that no damage will be done to the nearby plants and creatures.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that the RTGS has been done through the e-portal and payment of amounting to Rs. 880912 /- only (Eight Lakhs eighty thousand Nine hundred twelve) only has been deposited online by user agency.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake if Environment Clearance is required then it will obtained by the user agency.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake layout plan of the proposal will not changed prior of the central Government.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that no labour camp will be set up on the forest land and nearby land.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi. Executive Engineer,

Jal Shakti Division Mandi,

Distt.Mandi (P.H).

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that during construction activities, the user agency will provide adequate fuel wood to labourers through State Forest Department or Forest Development Corporation or through any other legal source of alternative timber preferably alternative fuel.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi. Executive Engineer,

Jal Shakti Division Mandi, Distt.Mandi (P.H).

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). Hereby, undertake that the boundaries of the forest land will be covered with R.C.C pillars depicting the Forward/Backward bearing & GPS Coordinates from the project cost by the user agency as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi. Executive Engineer,

Jal Shakti Division Mandi, Distt.Mandi (P.H).

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, under take that Forest land will be used only for the specified purpose in the proposal.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, under take that Forest land will be not transferred / given to other agency before obtaining the prior approval from the central government.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that violate any of conditions /stipulations. In case of any violation of any of these conditions I/we shall be liable for action as per direction of file number 11-42/2017-FC dated 29-01-2018 of Ministry of Environment, Forest & Climate change, government of India.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

Executive Engineer, Jal Shakti Division Mandi,

Distt.Mandi (P.H).

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that all instructions are accepted by the user agency time to time for Ministry of Environment, forest and Climate Change for plants and creatures protections.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, undertake that the muck produced will be used for locally behind retaining walls, Brest walls and also in other construction works.

Executive Engineer,

Jal Shakti Division Mandi,

Distt.Mandi (P.H).

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P). I hereby, under take that if any change in Act/Article/Rules/ Court Order and instruction will be followed by the user agency.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi.

I Raj Kumar Saini, Executive Engineer, Jal Shakti, Division Mandi (H.P) .I hereby, undertake that compliance report has been uploaded on the e-portal.

Counter signed

Divisional Forest Officer, Mandi Division Mandi. Executive Engineer,
Jal Shakti Division Mandi,

Distt.Mandi (P.H).

#### FORM-III

(for projects other than linear projects and plantations)
(Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

Dated Mandi, the 22.62-,2021.

#### TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6 (3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that (0.1034 hectare) of forest land proposed to be diverted in favour of Jal Shakti Vibhag for the purpose of construction of Sewerage Scheme in Mandi District falls within the jurisdiction of village(s) Nela in Tehsil Sadar. It is further certified that:

- (a) the complete process of identification and settlement of rights under the FRA, 2006 has been carried out for the <a href="entire">entire</a> (0.1034 hectare) of forest land proposed for diversion. A copy of record s of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha or forest -dwellers, who are eligible under the FRA, 2006.
- (c) each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificates issued by Gram Sabha(s) of Nela village are enclosed as attachment I to V.
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of each Gram Sabhas present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of tine FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it:
- (f) the rights of the Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) of the FRA, 2006.

Encl: As above.

(Rugved Thakur, IAS),

District Collector,

Mandi District, Mandi H.P.

Annexure-1

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों ही मान्यता अधिनियिम, 2006 वन अधिकार समिति

प्रस्ताव संख्या 2

प्रांतेलिपि प्रस्ताव दिंनाक 22-04.2016

वन अधिकार समिति मुझल समा पड्डल की बैठक आज दिनाक २२-७४-२०१६को डाग्य बर्ज पड्डल मुझल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकरों के लिए दावै प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकरों के आवदेनों पर चर्चा की गई। वन अधिकरों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर दिस्तुत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:--

कुल प्राप्त आवदेन:--

सही दावों का ब्यौरा:-

कम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का ब्योरा
		(3)-2)	,

तदानुसार यह मुहाल सभा इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

कम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम
	विन्युं —

तदानुसार मुहाल सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश कश्ती है:

मुहाल / गांव में कोई भी वन अधिकार का दाया प्राप्त नहीं हुआ है।

बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा वर्तन एंव वन बन्दोगस्त रिर्पोट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकरों एंव सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एंव मुहाल सना को निर्णय हेतू प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमाऐं वन विमाग के अभिलेख के अनुतार ही माने गर्

वन अधिकारिकाले Солиси Mandi (III)

वन अधिकार समि मुहाल समा..

ग्राम पंचायत Forest Right Committee विकास खण्ड Revenue, भारिकारी

हिमाचल प्रदेश।Distt. Mandi (H.P.)

Jal Shakti Sub-D.v.-I Mandi (H.P.)

Forest Right Committee

≺evenue, Vill. Ward (HP) Manicipal Council

Annexure-11

अनुसूचित जन जाति व अन्य प्रन्यरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियिम, 2008

वन अधिकार समिति

न्तर्ड मुहाल समा का नाम पडरल वार्ड 13 मुहाल समा का नाम स्वरंडिंग मुहाल समा सदस्य संख्या एक 5 उपस्थित सदस्य संख्या

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनाक 25.7-2016

प्रस्ताव संख्याः उ

पहाल समा पड़ान की अध्यान तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यशाही की गई:-

कुल प्राप्त आवदेन:-

सही दावों का ब्यौरा:--

कम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल कर नाम	वन-अधिकार का ब्यौरा
क्म राज्या		2102)	

तदानुसार यह मुहाल समा इस दावे / इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियनानुसार सही नहीं पाया गया:-

कुम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	
44 (1641 · C	(27-2)	

तदानुसार मुहाल समा इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

उत्तर पाउँ पाउँ पाउँ पाउँ में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त
इस मुहाल समा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार उनले. पाउँ पाउँ पाउँ भी वन अधिकार का दावा प्राप्त

नहीं हुआ। वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बंदोबस्त रिर्पोट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकरों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों के दावे को स्वीकार किया ग्या। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अनिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान पड्डली

Executive Omos.
Municipal Council
Mandi (H. P.)

Aesistant Engineer.
Jal Shakti Sub-Div.-I

Mandi (H.P.)

पंचायत सचिव Baccutive Office, मुडाल समा Municipal Course ग्राम पंचायत Mandi (H.P.

विक्रम नारल Pradhan

Forest Kight Commission
Revenue, Vill.
Diet Mard (H.F.)

## OFFICE OF THE SDO (CIVIL), MANDI (URBAN) DISTRICT MANDI H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub Division Level Committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

1.) Regarding Severage Scheme in Mandi Town.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, the claims of the above mentioned FRC's in said projects were found to be in order by the Sub-Division Level Committee and recommended the same for admission to the District Level Committee:-

Sr. No. 1	Name of the Applicant	Name of the Forest	Detail of the Forest Rights
1		NA	
2		NA	
(	Claim of the following a	pplicants were not found in orde	er and rejected:-
Sr. No. I	Name of the Applicant	Name of the Forest	Detail of the Forest Rights
1		NA	
2		NA	
As infor	med by MuhalSabha of	concerned projects as mentione	ed above, no application

As informed by MuhalSabha of concerned projects as mentioned above, no application ofclaiming rights in Forest area was received.

It was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in NakshBartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6 (3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, National Parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest

resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District level Committee.

Place: Mandi

Date:-

SDO(Civil)-Cum-Chairmanship/Chairpersonship

SDLC, Mandi(Unban), District Mandi H.P.

Assistant Engineer Jal Shakti Sub-Div.-

Mandi (H.P.)

अनुसूचित ज़न जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियिम, 2006
ग्रम-सभा जार्या गाँउ हैं।
विकास खण्ड
29.7200
Million a score
गणपूर्ति 11/15
Total de la propertie de la pr
निषय:- जिल्ला के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।
निर्माण हेत जंगल वन क्षेत्र में प्रस्तावित ७, 10-34
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमित प्रदान करने हेतु।
मन सभा न्यापिक्ट की बैठक आज दिनाक 99 2 2-20 को 11 वर्ज स्थान 25 कि स्थान 25 कि स्थान 25 कि स्थान के कि स्थान कि कि स्थान कि स्था
में की गई जिसमें जील शील रिवार विमाग संस्था को भूल के विभाग
निर्माण हेत जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित हेक्ट्रेयर दन भूम के उपयोग
क मंजूरा के लिए संवर्गत प्रवास करने के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्वसम्मति
से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम संमा जगशेक्त प्रस्ताय के लिए दन भूमि दिए जाने पर सहमत है।
ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008
ग्राम सभा का इस बठक न अनुसूचित जनजात व
के अंतर्गत यन अधिकरों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्दसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त
अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ही गई है हिशा
अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावा के निपटार सम्बान्धा राज अपूर्व हैं। अपूर्व के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावा के निपटार सम्बान्धा राज अपूर्व हैं। अपूर्व के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावा के निपटार सम्बान्धा राज अपूर्व के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावा के निपटार सम्बान्धा राज अपूर्व के अपूर्व हैं।
हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा का भारति है।
बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एंव वन बन्दोबस्त रिपोट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकर
एंव सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एंव मुहाल समा को निर्णय हेतू प्रेषित किया गया। वन संसाधनों व
मानिधित्र एंव परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।
70
स्थान 0)01
दिनाक २१ २-२०२ अधिकृत हस्ताम्हरूक <b>ा</b> ठिष्
दिनाक  Alterted  गाम सम्भाषातिक्रो Council
tauni rata
Assistant Enginee
Jal Shakti Sub-Div!-I pradnan Mandi (H.P.) = orest Right Committee
Dayonie, VIII.
Then Mard (H.P.)

1/2/740/2021

#### FORM-III

(for projects other than linear projects and plantations)
(Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

- Dated Mandi, the 17.02.,202

#### TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6 (3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that <u>00-10-00 Bighas</u> of forest land proposed to be diverted in favour of Jal Shakti Vibhag for the purpose of construction of Sewerage Scheme Tank in Mandi District falls within the jurisdiction of village(s) DPF Kangni in Tehsil Sadar. It is further certified that:

- (a) the complete process of identification and settlement of rights under the FRA, 2006 has been carried out for the <u>entire 00-10-00 Bighas</u> of forest land proposed for diversion. A copy of record s of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha or forest dwellers, who are eligible under the FRA, 2006.
- (c) each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificates issued by Gram Sabha(s) of DPF Kangni village are enclosed as attachment I to V.
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of each Gram Sabhas present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of tine FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it:
- (f) the rights of the Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) of the FRA, 2006.

Encl: As above.

(Rugved Thakur, IAS),

District Collector,

Mandi District, Mandi H.P.

Dested: 17-2-2021

Annexure-1

अनुसूचले जन जाति व अन्य परम्परागत चन निवासी तन अधिकारों की मान्यता अधिनिधिम, 2006 मुहाल सभा राम पंचायत र

प्रतिलिपि प्रस्तांव थ/ त्रनाक 30-10-2014

वन अधिकार समिति गुहाल समा उद्ग्य की बैठक आज दिनाक 30 -10 -14 को 11 वर्ज उद्ग्य गुज़ल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन प्रस्ताव संख्या.....०/ अधिकरों के लिए दावे प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकरों के आवदेनों पर वर्चा की गई। वन अधिकरों के प्रस्तावों के राशि प्रस्तुत दश्सावेजों के अध्यानने तथा चरा पर विस्तुत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई-

	_	निकार का खोरा
- 70%-	and the same specimens and	वन-आध्या
संही दावों का त्यारा	जगल का .	गम वन-अधिकार का ब्योरा
जीए हाम 1	त वासी के नान	Bur .
राही दावों का व्योश-	ML	हतु गुहाल समा से इराकी सिफारिश करती है
фици	- and a second	. जनाहा सभा रा र

तदानुसार यह गृहाल सभा इस दावे / इन दावों को पारित करने हेंगु गृहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में से निम्निलित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्तारमार यह मुहाहा	सभा द्रा नियमानुसार र	हि। नहां नाना	The second secon	And the second of the second o
के विमिशिखित पार्च	क्षा दाया ।	一一 新刊用		
41	पान	ाव वासा प	200	
्या अंख्या	413	- N/L	है किया करती है	
(D1)	ere. Land to the second to the	Dept. (17.1 d)	डिममारिश करता द	

तदानुसार मुहाल सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है

बन्दोवस्त के दीसन तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा वर्तन एंव वन बन्दोबस्त रिजीट में विणित सामुदायिक वनाधिकरों मुहाल / शंव १: कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ हैं। एंव सामुदायिक यन संशाधन के अधिकारों को जांचा गया एवं मुहाल सभा को निर्णय हेतू प्रवित किया गया। वन संसाधनों के 3182181 अध्यक्ष समिति अधिकार सा

गानचित्र एंव परंपरागत सीमाएँ चन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

साचव वन अधिकार समित्रवेठ

Jal Shakti Sub-Div.4 Mandi (H.P.)

3400°

या असम्बद्धाः कर्तुवा 15010 (150 1758 (12010)

गाम वसायत शाजस्य गांव ५०

विकास खण्ड ग्राम पंचायत भरीण

मुहाल सभा...

हिमाचल प्रदेश।

Annexure-11

बनुसूचति रून जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियिम, 2006

मुहाल सभा का नाम 💆 📿 💛 मुहाल सभा सदस्य संख्या 🤇 🗥 🔾 उपस्थित सदस्य संख्या अभू

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनाक 26-09-2020

मुहाल सभा द्विर की बैठक आज दिनाक 26-09-20 को । वर्ज दिना प्रशान में अपनिकार से हैं, जिसमें द्विर श्री श्रीमती की गणपूर्ति निम्न प्रकार से हैं, जिसमें द्विर श्री श्रीमती की गणपूर्ति निम्न प्रकार से हैं, जिसमें द्विर श्री श्रीमती की गणपूर्ति निम्न प्रकार के अंतर्गन रम महाल गुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस मुहाल सभा

की यन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त हुए। गांववासियों के आयदेनों पर चर्चा की गई। वन अधिकरों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर विस्तुत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवदेन:-

सही दावों का व्यौरा:-

सही दावों का व्यारा:-	100 - 100 -	वन-अधिकार का ब्योरा
The History		A STATE OF THE STA
7511 4091	AN ( -	
	70	क जिल्ला को पेषित करती है।

तदानुसार यह मुहाल सभा इस दावे / इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

	उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्री की दार	11 113 13	- Martin Alberta - P. C. Carrier Commission and Martin Commission
Γ	The state of the s	पात्र गांव वासी के नाम	The state of the s
1		0.4	

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुहाल...... में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं तदानुसार मुहाल सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बंदोबस्त रिर्पोट में विभित्त सामुदायिक वनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकरों को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों के दावे को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

खान *६६*८ विनाक ४६-१-२०२०

सानिवा अ विवसव सदर, माने (हिवप्रव) ग्राम पंचायत भरीण

Jal Shakti Sub-Div.-I Mandi (H.P.)

# OFFICE OF THE SDO (CIVIL), MANDI (URBAN) DISTRICT MANDI H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub Division Level Committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Mandi (Urban) Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Nivedita Negi, IAS SDO (Civil), Mandi (Urban) on dated. 17-11-20 at. 11. A.M. at Mandi. Under Forest Rights Act, 2006 the following projects in which Forest Rights Committees (FRC's) were constituted are discussed and screened in the Sub Division Level Committee:-

1.) Regarding Severage Scheme in Mandi Town.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, the claims of the above mentioned FRC's in said projects were found to be in order by the Sub-Division Level Committee and recommended the same for admission to the District Level Committee:-

District Level Committee.		Detail of the Forest Rights
Cul - Applicant	Name of the Forest	
Sr. No. Name of the Applicant		
	NA	
1	NA	
2		
	Warnts were not found in orde	r and rejected
Claim of the following app	olicants were not found in orde	
		Detail of the Forest Rights
1	Name of the Forest	11.4
Sr. No. Name of the Applicant	Traine -	
31	NA	
1	NANA	
2	concerned projects as mention	ad above, no application
I Is-bba of	concerned projects as mention	eu abore,
- J by MuhalSabild VI		

As informed by MuhalSabha of concerned projects as mentione ofclaiming rights in Forest area was received.

It was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in NakshBartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6 (3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, National Parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District level Committee.

Place: Mandi

Date:-

SDO(Civil)-Cum-Chairmanship/Chairpersonship SDLC, Mandi(Unban), District Mandi H.P. Attested

Jal Shakti Sub-Divi-I Mandi (H.P.)

Anndexure-V अनुस्चित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2005 ग्राम सभा टुवर जिला अर्थ (हिं०प्र०) विकास खण्ड अर्थ जिला दिनांक 26-09-2020 ग्राम सभा द्वर् (विभाग / संरथा को <u>३०००</u> निका सिर्ट हैं के गणपूर्ति 277/500 में प्रस्तावित... 0-10-00 (0:0495) हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए विषय जाटी इएकत निमाण हेतु. 50 P.E. क्या आहेत. की बैठक आज दिनांक 26-09-2020 को 3.00 बजे स्थान *5*97 की गई जिसमें *छनान द्वापन* विभाग /संस्था को किमार्ग हेत DPF करामणा जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित o-10-000 है स्टेग का वामार्ग के कार्या के कार्य के कार्या के कार्य के कार्या के कार्य के कार्या के कार्य के कार्या के कार्य के कार सहमती प्रदान करने हेतु। ग्राम सभा द्विद हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमती प्रदान करने पर चर्चा की गई। राभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्धेश्य को पूरी तरह सगझने के बाद सर्व सामती से यह निर्णेश लिया कि यह ग्राम समा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि ग्राम समा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मित से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के दिए जाने पर सहमत है की सहमती दी जाती ।

> मसिव उप्पान terra gas AHoxfed जाम पत्ताधात अरोण R-110 26-09-2020 शतर, मुन्दे (हि०प्र०) Assistant Engineer Jal Shakti Sub-Div.-1/ Mandi (H.P.)

म्यापिकत सिंचेव रिष् यन अधिकार समिति यम्बल समार्ट् काम पंचायत भरे

#### FORM-III

(for projects other than linear projects and plantations)
(Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

Dated Mandi, the 22-02,2021.

#### TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6 (3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that (0.0323 hectare) of forest land proposed to be diverted in favour of Jal Shakti Vibhag for the purpose of construction of Sewerage Scheme in Mandi District falls within the jurisdiction of village(s) Bhiuli in Tehsil Sadar. It is further certified that:

- (a) the complete process of identification and settlement of rights under the FRA, 2006 has been carried out for the <u>entire (0.0323 hectare)</u> of forest land proposed for diversion. A copy of record s of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha or forest-dwellers, who are eligible under the FRA, 2006.
- (c) each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificates issued by Gram Sabha(s) of Bhiuli village are enclosed as attachment I to V.
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of each Gram Sabhas present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of tine FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it:
- (f) the rights of the Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) of the FRA, 2006.

Encl: As above.

(Rugved Thakur, IAS),

District Collector,

Mandi District, Mandi H.P.

Annexure-1 अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी तन अधिकारों की मान्यता अधिनियिम, 2006 वन अधिकार समिति विकास समिति विकास समिति

प्रस्ताव संख्या है

प्रतिलिपि प्रस्ताव विनाक 25-4-2-16

वन अधिकार समिति मुझल समा प्रतान की बैठक आज दिनाक की प्रतान की कि को कुल बजे प्रतान की भूग की बैठक आज दिनाक की प्रतान की मान्यता) अधिनियम 2006 के जिंगत वन अधिकरों के लिए दावे प्राप्त हुए गांववासियों के दन अधिकरों के आवदेनों पर गर्चा की गई। वन अधिकरों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर विस्तुत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

सही दावों का ब्यौरा:--

. कुल प्राप्त आवदेन:--

कम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का ब्योरा
<u> </u>		21-21	

तदानुसार यह मुहाल सभा इस इन्वं / इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:--

कम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम
	2)-21

तदानुसार मुहाल समा इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है:

या

मुहाल / गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एंव वन बन्दोबस्त रिर्पोट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकशें एंव सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एंव मुहाल समा को निर्णय हेतू प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एंव परंपरागत सीमाऐं यन विमाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गर।

स्थान पुरानी केरि

सचिव कर्ट्याप्य ाधिका वन अधिकार संमित्र (H. )

वं रेसी नाता

Forest Right Committee
Revenue, Vill.

Revenue, Vill.

Executive Officer
Municipal Council
Mandi (H. P. 1)

अध्यक्ष वन अधिकार सनिकित्रवर्गाता मुहाल समा Forest Right Compilie ग्राम पंचायत Revenue, Aili Addition विकास खण्ड Dist. Mandi (H.P.) हिमाचल प्रदेश

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub-Dix.-I
Mandi (H.P.)

	वन	वन निवासी वन अधिकारों अधिकार समिति		
	_0.	<del></del> /-	59.	•
		ल समा द्वा नाम <u>प्राप्ति</u> संवायत का नाम <u>प्रा</u> प्ति	) - 1	
	ail ye	ल क्षमा सदस्य संख्या	1809	
	. 691	स्थत सदस्य संख्या		the upper
प्रस्ताव संख्या 2			प्रतिलिधि	
$\stackrel{\sim}{\Lambda}$	Ω		दिनाक	23-7-2016
मुझल समा पुराती			) <u>-0 -</u> बजे <u> </u>	रानी जा
		की गई व उपरोक्त मुहाल समा व		
मुहाल के अनुसूचित जन	नजाति व अन्य परम्पराग	ात वन निवासी (वन अधिकारों की	मान्यता) अधिनियम 20	006 के अंतर्गत इस मुह
की वन अधिकार समिति	की सिफारिश के छपर	क्ति हुए। गांवॄवासियों के आवदेनों व	पर चर्ता की गई। वन	अधिकरों के प्रस्तावों व
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध	यनन तथा उस पर विस	तुतं चर्चा के उपरान्तं निम्न प्रकार र	से कार्यवाही की गई:-	
सही दावों का ब्यौरा:		कुल प्राप्त आवदेन:	J	,
कम संख्या	पात्र गांव वासी व	में चाम 🔻 जंगल का नाम	वन-अधिका	र का ब्यौरा
	2521			-
उपरोक्त में से निम्नलिशि	वत पात्रों का दारा निय	मानुक्तार सही नहीं पाया गया:	C St. Wild 44 Al-	a start
उपरोक्त में से निम्नलिए	वत पात्रों का दारा निय	मानुकार सही नहीं पाया गया:	O 31 Unit 32 A	
उपरोक्त में से निम्नलिए	वत पात्रों का दारा निय	मानुतार सही नहीं पाया गया:— गांव वासी के नाम	O 31 Unit 32 Ai	
उपरोक्त में से निम्नलिए	वत पात्रों का दारा निय	मानुकार सही नहीं पाया गया:	1	
उपरोक्त में से निम्नलियि इम संख्या	इत पात्रों का दारा निय पात्र	मानुत्तार सही नहीं पाया गया: गांव वासी के नाम- 21-U	1	
उपरोक्त में से निम्नितिरि इम संख्या विजि निदानुसार्क्ष्ट्राल समा इन	इत पात्रों का दारा निय पात्र स दावे/ इन शवों को	मानुकार सही नहीं प्राया गया: गांव वासी के नाम टी/-टी निरस्त करने की सिकारिश कुरती	=====================================	
उपरोक्त में से निम्नितिरि इम संख्या वित्रुसार् भुटाल समा इस इस मुदाल समा की वन	इत पात्रों का दारा निय पात्र स दावे/ इन शवों को	मानुत्तार सही नहीं पाया गया: गांव वासी के नाम- 21-U	=====================================	
उपरोक्त में से निम्नितिरि इम संख्या वित्तुसार् हुडाल समा इस इस मुझले समा की वन	वत पात्रों का दारा निय पात्र स दावे/्इन शवों की अधिकार सनिति से प्र	मानुत्तार सही नहीं पाया गया:— गांव वासी के नाम  ्री/-प्र  निरस्त करने की सिकारिश करती  गांच सूचना के अनुसार बुनल प्र	है।	मी वन अधिकार का द
क्रम संख्या वित्र में से निम्नितिरि वित्र में स्था वित्र मुझले समा की वन वित्र मुझले समा की वन वित्र मुझले समा की वन वित्र मुझले समा की वन	इत पात्रों का दारा निय पात्र स दावें / इन शवों को अधिकार समिति से प्र प्रस्ताव के अनुसार बन्दे	मानुसार सही नहीं प्राया गया:— गांव वासी के साम् टी-पे निरस्त करने की सिकारिश करती भूग सूचना के अनुसार मुझल प्र	है। (१७/१४) में कोई जब उल अर्ज नक्शा	भी वन अधिकार का व
उपरोक्त में से निम्नितिरि इम संख्या वित्तुसार कुटाल समा इन् इस मुदाल समा की वन वर्डी हुआ। वन अधिकार समिति के	इत पात्रों का दारा निय पात्र स दावे/ इन शवों को अधिकार सनिति से प्र प्रस्ताव के अनुसार बच्चे कारो एवं सामुदायिक	मानुकार सही नहीं पाया गया:— गांव वासी के काम  ्री-प्र  निरस्त करने की सिकारिश करती  गांद सूचना के अनुसार ब्रुडाल प्र  विस्त के दौरान तैथार की गई वार्षि	है। ं ने कोई जैब उल अर्ज नक्शा पाया गया एवं उक्त	मी वन अधिकार का व वर्तन एवं वन बंदोबस्त अधिकारों के दावे को
व्यरोक्त में से निम्नितिरि व्या विज्ञासार मुद्दाल समा इक् स्य मुद्दाल समा की वन विज्ञा । विज्ञा अधिकार समिति के विज्ञा विकार समिति के	इत पात्रों का दारा निय पात्र स दावे/ इन शवों को अधिकार सनिति से प्र प्रस्ताव के अनुसार बच्चे कारो एवं सामुदायिक	मानुसार सही नहीं प्राया गया:— गांव वासी के साम् टी-पे निरस्त करने की सिकारिश करती भूग सूचना के अनुसार मुझल प्र	है। ं ने कोई जैब उल अर्ज नक्शा पाया गया एवं उक्त	मी वन अधिकार का व वर्तन एवं वन बंदोबस्त अधिकारों के दावे को
उपरोक्त में से निम्नितिरि इम संख्या विनुसार् कुटाल समा इन् उस मुझले समा की वन वहीं हुआ। वन अधिकार समिति के विन्त सामुदायिक वनाधि केया ग्या। वन संसाधनो	इत पात्रों का दारा निय पात्र स दावे / इन शवों की अधिकार सनिति से प्र प्रस्ताव के अनुसार बच्च कारो एंव सामुदायिक मिं के मानियेत्र एंव प्रस्पर	मानुकार सही नहीं पाया गया:— गांव वासी के काम  ्री-प्र  निरस्त करने की सिकारिश करती  गांद सूचना के अनुसार ब्रुडाल प्र  विस्त के दौरान तैथार की गई वार्षि	है। ं ने कोई जैब उल अर्ज नक्शा पाया गया एवं उक्त	मी वन अधिकार का व वर्तन एवं वन बंदोबस्त अधिकारों के दावे को
उपरोक्त में से निम्नितिरि इम संख्या विनुसार किता समा इन् उप मुझले समा की वन विज्ञा । विज्ञा समिति के विन्नि विज्ञा समिति के विन्नि किया ग्या । वन संसाधनी	इत पात्रों का दारा निय पात्र स दावे / इन शवों की अधिकार सनिति से प्र प्रस्ताव के अनुसार बच्च कारो एंव सामुदायिक मिं के मानियेत्र एंव प्रस्पर	मानुकार सही नहीं पाया गया:— गांव वासी के काम  ्री-प्र  निरस्त करने की सिकारिश करती  गांद सूचना के अनुसार ब्रुडाल प्र  विस्त के दौरान तैथार की गई वार्षि	है। ंटी में कोई जेब उल अर्ज नक्शा पाया गया एंव उक्त इ के अनुसार ही माने	भी वन अधिकार का व वर्तन एंव वन बंदोबस्त अधिकारों के दावे को गए।
व्यरोक्त में से निम्नितिरि कम संख्या  विश्व स्था है। विश्व समा की वन विश्व मुझले समा की वन विश्व समुदायिक वनाधि केया ग्या। वन संसाधनो	इत पात्रों का दारा निय पात्र स दावे / इन शवों की अधिकार सनिति से प्र प्रस्ताव के अनुसार बच्च कारो एंव सामुदायिक मिं के मानियेत्र एंव प्रस्पर	मानुकार सही नहीं पाया गया:— गांव वासी के काम  ्री-प्र  निरस्त करने की सिकारिश करती  गांद सूचना के अनुसार ब्रुडाल प्र  विस्त के दौरान तैथार की गई वार्षि	है।  (/////// में कोई  जेब उल अर्ज नक्शा  पाया गया एंव उक्त  ब के अनुसार ही माने	भी वन अधिकार का व वर्तन एवं वन बंदोबस्त अधिकारों के दावे को गए।
कम संख्या  विश्व में से निम्नितिरि  कम संख्या  विश्व समा की वन  विश्व मुझले समा की वन  विश्व समुद्राधिक वनाधि  क्या ग्या। वन संसाधनो  थान  थान	इत पात्रों का दारा निय पात्र स दावे / इन शवों की अधिकार सनिति से प्र प्रस्ताव के अनुसार बच्च कारो एंव सामुदायिक मिं के मानियेत्र एंव प्रस्पर	मानुकार सही नहीं पाया गया:— गांव वासी के काम  ्री-प्र  निरस्त करने की सिकारिश करती  गांद सूचना के अनुसार ब्रुडाल प्र  विस्त के दौरान तैथार की गई वार्षि	है। में कोई जिब जल अर्ज नक्शा प्राया गया एंव जक्त इ के अनुसार ही माने पंचायत हा मुहाल सम	मी वन अधिकार का व वर्तन एंव वन बंदोबस्त अधिकारों के दावे को गए। अस्टट्याग्टिट चव अस्टट्याग्टिट अधिकारों
कम संख्या जो समा इन संदानुसार कुटाल समा इन इस मुझल समा की वन नहीं हुआ। जन अधिकार समिति के वर्णित सामुदायिक वनाधि केया गया। वन संसाधनो	इत पात्रों का दारा निय पात्र स दावे / इन शवों की अधिकार सनिति से प्र प्रस्ताव के अनुसार बच्च कारो एंव सामुदायिक मिं के मानियेत्र एंव प्रस्पर	मानुकार सही नहीं पाया गया:— गांव वासी के काम  ्री-प्र  निरस्त करने की सिकारिश करती  गांद सूचना के अनुसार ब्रुडाल प्र  विस्त के दौरान तैथार की गई वार्षि	है। में कोई जिब जल अर्ज नक्शा प्राया गया एंव जक्त इ के अनुसार ही माने पंचायत स मुहाल सम ग्राम पंचाय	मी वन अधिकार का व वर्तन एंव वन बंदोबस्त अधिकारों के दावे को गए। अस्टट्याग्टिट चव अस्टट्याग्टिट अधिकारों
कम संख्या  विशित्र में से निम्नितिरि  कम संख्या  विशित्र समा की वन  विश्व मुझले समा की वन  विश्व समुदायिक वनाधि  कैया ग्या। वन संसाधनो  थान  थान	इत पात्रों का दारा निय पात्र स दावे / इन शवों की अधिकार सनिति से प्र प्रस्ताव के अनुसार बच्च कारो एंव सामुदायिक मिं के मानियेत्र एंव प्रस्पर	मानुसार सही नहीं माया गया:— गांव वासी के साम हिंदी करती के साम है अनुसार छुनले हैं। सिकारिश करती गर्भ वार्ति स्वाप्त के अधिकरों को सही वार्ति सीमार्दे बन विमाग के अभिलेख	है। में कोई जिब जल अर्ज नक्शा प्राया गया एंव जक्त इ के अनुसार ही माने पंचायत स मुहाल सम ग्राम पंचाय	भी वन अधिकार का व वर्तन एवं वन बंदोबस्त अधिकारों के दावे को गए।
कम संख्या  विद्यानुसार कुटाल समा इत् इस मुद्दाल समा की वन नहीं हुआ। न अधिकार समिति के विद्या ग्या। वन संसाधनी केया ग्या। वन संसाधनी	वत पात्रों का दारा निय पात्र स दावे/ इन शवों को अधिकार सन्तित से प्र प्रस्ताव के अनुसार बच्चे कारो एवं सामुदायिक ों के मानियत्र एवं उत्पर	मानुसार सही नहीं प्राया गया:— गांव वासी के नाम  शि-पि  निरस्त करने की सिकारिश करती गांत सूचना के अनुसार छुनल प्र विकास की गई वार्षित सिमार्थ की गई वार्षित सिमार्थ बन विमार्ग के अभिलेख	है।  (17)  में कोई  जब उल अर्ज नक्शा  पाया गया एंव उक्त  ब के अनुसार ही माने  पंचायत हा  मुहाल सम  ग्राम पंचाय  (14)	मी वन अधिकार का व वर्तन एवं वन बंदोबस्त अधिकारों के दावे को गए। अध्यादांश्व C Municipal C Municipal C Municipal C
कम संख्या  तदानुसार हुनल समा इर समा की वन नहीं हुआ।  तन अधिकार समिति के निर्माणित सामुदायिक वनाधि केया ग्या। वन संसाधनी थान देनाक 23.7	वत पात्रों का दारा निय पात्र स दावे/ इन शवों को अधिकार सन्तित से प्र प्रस्ताव के अनुसार बच्चे कारो एवं सामुदायिक ों के मानियत्र एवं उत्पर	मानुसार सही नहीं माया गया:— गांव वासी के साम हिंदी करती के साम है अनुसार छुनले हैं। सिकारिश करती गर्भ वार्ति स्वाप्त के अधिकरों को सही वार्ति सीमार्दे बन विमाग के अभिलेख	है।  प्रिंगिंगों में कोई  जब उल अर्ज नक्शा  पाया गया एंव उक्त  ब के अनुसार ही माने  पंचायत हा  मुहाल सम  ग्राम पंचाय  Att	मी वन अधिकार का व वर्तन एवं वन बंदोबस्त अधिकारों के दावे को गए। अध्यादांश्व C Municipal C Municipal C Municipal C

#### OFFICE OF THE SDO (CIVIL), MANDI (URBAN) DISTRICT MANDI H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub Division Level Committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

1.) Regarding Severage Scheme in Mandi Town.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, the claims of the above mentioned FRC's in said projects were found to be in order by the Sub-Division Level Committee and recommended the same for admission to the District Level Committee:-

Sr. No. Name	of the Applicant	Name of the Forest	Detail of the Forest Rights
1		NA	
2		NA	
Claim	of the following app	licants were not found in o	rder and rejected:-
Sr. No. Name	of the Applicant	Name of the Forest	Detail of the Forest Rights
1		NA	
2		NA	

As informed by MuhalSabha of concerned projects as mentioned above, no application ofclaiming rights in Forest area was received.

It was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in NakshBartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6 (3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, National Parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest

resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District level Committee.

Place: Mandi

Date:-

SDO(Civil)-Cum-Chairmanship/Chairpersonship

SDLC, Mandi(Unban), District Mandi H.P.

Assistant Engineer

Jal Shakti Sub-Div.-I

Mandi (H.P.)

			Annexure-	V
अनुसूचित जन जाति व अन्य पर	स्परागत यन निवासी	(वन अधिकारों की मा	न्यता) अधिनियिम, २००१	6
3.6		प्यायद ने		
		जिला मण्डी (	हि.प्र.) ।	
		लिपि प्रस्ताव		2-2-20
गणपूर्ति/1/15			प्रस्ताव संख्या	211(ii)
निर्माण हेतु	(Columbia)	वेभाग / संस्था को किया	(CICILITY 21/20)	TO REG 30
निर्माण हेतु 7 राष्ट्रिकार	जंगल/वन क्षेत्र में	प्रस्तावित	52-3	यर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति	प्रदान करने हेत्।			
गु <u>म सभा जो गुरिपेटिपेट</u> में की गई जिसमें निर्माण हेतु रिप्ता	की बैठक आज दिनाव जालकार्जिकियार्ग र जान / बन क्षेत्र में प्र	क 29-7-2020 वेभागं / संस्था को 11.00 स्तावित 000 है 2	को // बजे स्थ जिसान/या गठि च्यो जिसाही च्यो के जिसही	गन के छि १ के शिक्ष् भूमि के छपयोग
के मंजरी के लिए सहमति प्रदान	करने पर चर्चा की गई।			
सभी ग्रमवासियों में सम्बन्धित वन	भूमि के प्रस्तावित कार्य है	तु उपयोग के उद्देश्यों	को पूरी तरह समझने के	बाद सर्वसम्मति
से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम				
ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसू				
के अंतर्गत वन अधिकरों के दावे	के निपटारे पर चर्चा	की गई तथा सर्दसम्मित	से यह पारित किया	गया कि उपरोक्त
अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिक प्रस्तावित 6.0.323 हैक	रारों के दावों के निपटारे	सम्बन्धित सारी प्रकिया	पूरी की जा रही है / कर भिराहि भ त	ति गई है तथा १००१ १५ १५ गिर्म निर्माण
हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा	-ज्ञापारिषद	की सहमित दी जाती	है।	
बन्दोबस्त के दौरान तैयार की ग	ार्ड वाजिब उल अर्ज नक्स	॥ बर्तन एंद दन बन्दोबर	त रिर्पोट में वर्णित सामु	दायिक वनाधिकरों
एंव सामुदायिक वन संसाधन के	अधिकारों को जांचा गया	् एंव मुहाल समा को निर्ण	य हेतू प्रेषित किया गया	। वन संसाधनों के
मानचित्र एंव परंपरागत सीमाऐं व				
स्थान के				
दिंनाक र्वन-१-२०५)		1	अधिकृत हस्ताक्षेरका	
दिनाक ११-7-2020)			fillen m mili	HAS OFFICER
		A TIES	ग्राम समा	cipal Council

Pradhan Forest Kignt Committee Revenue, Vill.

Allested

Office of the SUU 10 Priority

Dealing

Date...

FORM-III

(for projects other than linear projects and plantations)

(Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date

Government of Himachal Pradesh Office of the District Collector, Mandi

Dated Mandi, the 22.02.2021.

#### TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6 (3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that (0.498 hectare) of forest land proposed to be diverted in favour of Jal Shakti Vibhag for the purpose of construction of Sewerage Scheme in Mandi District falls within the jurisdiction of village(s) Purani Mandi in Tehsil Sadar. It is further certified that:

- (a) the complete process of identification and settlement of rights under the FRA, 2006 has been carried out for the entire (0.498 hectare) of forest land proposed for diversion. A copy of record s of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha or forest -dwellers, who are eligible under the FRA, 2006.
- (c) each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificates issued by Gram Sabha(s) of Purani Mandi village are enclosed as attachment I to V.
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of each Gram Sabhas present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of tine FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it:
- (f) the rights of the Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) of the FRA, 2006.

Encl: As above.

(Rugved Thakur, IAS), District Collector,

Mandi District, Mandi H.P.

Dend to SDM SODOR Dispatch No: 6549 Dobrt: 22-2-2121

Annexure-1

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी तन अधिकारों की मान्यता अधिनियिम, 2006

प्रस्ताव संख्या..

प्रतिलिपि प्रस्ताव

वन अधिकार समिति मुझल समा प्रानि को बैठक आज दिनाक 254216 को 2-12 बजे प्रानि भी मुहाल के अनुसूचित जनजाति त अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तर्गत वन अधिकरों के लिए दावे प्राप्त हुए गांववासियों के दन अधिकरों के आवदेनों पर गर्चा की गई। वन अधिकरों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर विस्तुत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:--

सही दावों का ब्यौरा:-

कुल प्राप्त आवदेन:-

कम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का ब्योरा
_	_	21-21	

तदानुसार यह मुहाल सभा इस दावें / इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:--

कम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम
	2)-21

तदानुसार मुहाल समा इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है.

मुहाल / गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिर्पोट में दर्णित सामुदायिक वनाधिकशें एंव सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एंव मुहाल समा को निर्णय हेतू प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ पन विमाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गर

स्थान दिंनाक

executive Other सचिव वन अधिकीरियमिक्टिश Coy! ना Mandi (Hr

Forest Kignt Committee Revenue, Vill. Tish Mard (HP.)

Municipal Council Mandi (H. P.)

वन अधिकार सिम्हि radican

Forest Right Compile --Revenue, All.

Jal Shakti Sub-D .Mandi (H.P.)

Annexure-11 Wandi Vitan .

अनुसूचित जन जाति व अन्य भरम्परागत वन निवासी वन अधिकारों को गान्यता अधिनियिम, 2006 वन अधिकार समिति मुखल सम्। दा नाम ८.८५८ग्राम पंचायत का नाम प्रतिलिपि प्रस्ताव प्रस्ताव संख्या क्निक 23-7-216 910 मुझल समा पुराती भे भे भेट्या आज दिनाक 23-7-)गाँ को की अध्यक्षता में की गई व उपरोक्त मुहाल समा की गणपूर्ति निम्न प्रकार से है, जिसमें দ্ৰাঠ मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस मुहाल समा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के छपरान्त हुए। गांवूवासियों के आवदेनों पर चनां की गई। वन अधिकरों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर विस्तुत चर्चा के छपरान्त निन्न प्रकार से कार्यवाही की गई-कुल प्राप्त आवदेन:-सही दावों का ब्यौरा:-कम संख्या पात्र गांव वासी के नान जंगल का नाम वन-अधिकार का ब्योरा

तदानुसार यह मुहाल समा इस दावें / इन दावों को पारित करते हुए इसे एए-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दारा नियमानुसार सही नहीं पाया गया-

कम संख्या पात्र गांव वासी के नाम

तदानुसार हुनल समा इस दावें इन शर्वों को निरस्त करने की सिकारिश करती है। इस मुझल समा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मुझल प्रा /८/न/२००) में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

वन अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बंदोबस्त रिपोंट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकारो एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकरीं को सही पाया गया एवं उक्त अधिकारों के दावे को स्वीकार किया ग्या। वन संसाधनों के मानचित्र एंव उरंपरागत सीमारे वन विमाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।

स्थान दिंनाक

soutive Omes Manicipal Council

Jal Shakti Sub-Div.-I Mandi (H.P.)


पंचायत सचिव अxecutive Offices मुहाल समा Municipal Council ग्राम पंचायत.....

a all allet

Pradhan

Forest Right Committee ≺evenue, Vill.\_

Tist Mard HP)



#### OFFICE OF THE SDO (CIVIL), MANDI (URBAN) DISTRICT MANDI H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub Division Level Committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

1.) Regarding Severage Scheme in Mandi Town.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, the claims of the above mentioned FRCs in said projects were found to be in order by the Sub-Division Level Committee and recommended the same for admission to the District Level Committee:-

Sr. No. Name of the Applicant	Name of the Forest	Detail of the Forest Rights
1	NA	
2	NA	
Claim of the following app	licants were not found in ord	er and rejected:-
Sr. No. Name of the Applicant	Name of the Forest	Detail of the Forest Rights
1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
2	NA	
1	NA/NANA	

As informed by MuhalSabha of concerned projects as mentioned above, no application ofclaiming rights in Forest area was received.

It was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in NakshBartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6 (3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, National Parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest

resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District level Committee.

Place: Mandi

Date:-

SDO(Civil)-Cum-Chairmanship/Chairpersonship SDLC, Mandi(Unban), District Mandi H.P.

> Jal Shakti Sub-Div.-Mandi (H.P.)

	Annexure-V
अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (यन अधिकारों की मान्यता) आ	े धिनियिम २००६
	1191, 2008
ग्राम सभा जुरा परिष द भेड	
विकास खण्ड जिलः मण्डी (हि.प्र.)।	
-222	00 7 5
	देनांक 29.7-2020
गणपूर्ति 11/15	प्रस्ताव संख्या 211 (1)
Totalla for 12)	7-1-00
निर्माण हेतु पुरान की मंजरी के दिया महार्थि प्राप्त को निर्माण के किया महार्थि प्राप्त को निर्माण के दिया महार्थि प्राप्त को किया महार्थि प्राप्त को किया महार्थि प्राप्त को किया महार्थि प्राप्त की के दिया महार्थि प्राप्त को किया महार्थि प्राप्त के दिया महार्थि प्राप्त के किया महार्थि के किया महार्थि प्राप्त के किया महार्थि प्राप्त के किया महार्थि के किया महार्थ के किया महार्य के किया महार्य के किया महार्थ क	2/510) no 12 (5)
जगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00049	हैक्टेयर वन मूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।	
ग्राम सभा 073/191099 की बैदक आज दिनाक 99-2-200 को	्वने स्थान राष्ट्री
में की गई जिसमें जील है। हिंदी है है जा विभाग / संस्था को 40 मले हि की	5/ 2/20 no 218(03)
याम सभा न्यापिटिंग्द् की बैठक आज दिनाक 29-2500 को 1	क्टेयर दन भिं के लपयोग
के मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।	6. 1. 0.41.1
सभी ग्रामवासियों में सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को गूरी तरह	ज्यास्त्र के बाद कर्वनाम्
से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम संभा उपशेवत प्रस्ताव के लिए वन भूभि दिए जाने पर सहमत है	ा अन्यन पर बाद सदसमात
भ्राम सभा की इस बैठक में अनुसचित जन्माति व अन्य प्राप्ताति न	
भ्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की	मान्यता) अधिनियम 2006
के अंतर्गत वन अधिकरों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्दसम्मति से यह पारि	रेत किया गया कि उपरोक्त
अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा र प्रस्तावित (0, 498) हैक्टेयर वन भूमि को 200 जिनामि योजिए के लिए गाम सभा	ही है / कर ली गई है तथा
प्रस्तावित 0, 498 हैक्टेयर वन भूमि को भूल जिनाकी याजिए। के राहा क	179860 9 10260
हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा जा भिर्म पु की सहमति दी जाती है।	1 1 11 1
	*
बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एंव वन बन्दोबस्त रिपोंट में व	विति सामग्रीक नार्क
एंव सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एंव मुहाल समा को निर्णय हेतू प्रेषित वि	क्या गणा का कंपानिकरी
मानचित्र एंव परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।	गया गया। वन संसाधना क
न जिलार हो नाम गर्रा	
स्थान केंद्री	
000	
दिंनाक 99,7-2020 अधिकृत हुन	HTT ODG
ग्राम सम	inicipal Council
वस्य माल	indi (H. P.)
aradhan aradhan	AHE STED
Revenue, Vill.	take Figure
ilett Mand (H.P.)	let Shakti Sub-Div
	Mandi (H.P.)

#### FORM-III

(for projects other than linear projects and plantations)

(Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

Dated Mandi, the 28.06.,2021

#### TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6 (3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that <u>0.0993 hectare</u> of forest land proposed to be diverted in favour of Jal Shakti Vibhag for the purpose of construction of Sewerage Scheme (Mandi Town) falls within the jurisdiction of village(s) Lower Bhagwan & Seri in Tehsil Sadar. It is further certified that:

- (a) the complete process of identification and settlement of rights under the FRA, 2006 has been carried out for the <a href="entire 0.0993">entire 0.0993</a> Hectare of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha or forest -dwellers, who are eligible under the FRA, 2006.
- (c) each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificates issued by Gram Sabha(s) of Lower Bhagwan & Seri villages are enclosed as
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of each Gram Sabhas present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of tine FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it:
- (f) the rights of the Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) of the FRA, 2006.

Encl: As above.

District Collector,

Mandi District, Mandi H.P.

Annexure-1

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियिम, 2006

वन अधिकार समिति, क्रियुडान सभा ला भारति १९१६ न

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकरों के लिए दावे प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकरों के आवदेनों पर चर्चा की गई। वन अधिकरों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर विस्तुत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवदेन:-

सही दावों का ब्यौरा:-

		21-21	
कम संख्या	पात्र गांव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का ब्यौरा

तदानुसार यह मुहाल सभा इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतु मुहाल सभा से इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त मे सं निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्म संख्या	पात्र गांव वासी के नाम
<del>-</del> :	2221

तवानुसार मुहाल सभा इस दावें / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है

मुहाल / गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है!

बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बन्दोबस्त रिर्पोट में वर्णित सामुदायिक बनाधिकरां एंव सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एंव मुहाल सभा को निर्णय हेतू प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र रंद परंपरागत सीमाएँ वन दिभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।

वन अधिकार समिति

Municipal Council Mandi (H. P.A.

Forest kight Committee मुहाल सम्पे Revenue, Vill Cour Blugg ग्रान पंचायनिकास (H.P.)

हिमायल प्रदेश।

al Council H. P. V

Pradhan

Alle Forest Kigny Committee

Jal Shakti Sub-Div.-I Mandi (H.P.)

Municipal Council  Wandi (H. P.) M  Assistant Engineer  Jal Shakti Sub-Div  Jal Shakti Sub-Div  Mandi (H. P.) M  Assistant Engineer  Jast Mardi (H.P.)					
का अध्यात संगात के का मान जा मा	अनुप्रसृति जन जाति ह अन्य			Annexure-11	
का अध्यात संगात के का मान जा मा	जर्रेत्यात जन जात व अन्य	परम्परागत वन निवासी व	न अधिकारों की मान्यता अ	धिनियिम, 2006	
प्रस्ताव संख्या 2  प्रस्ताव संख्या 2  प्रस्ताव संख्या 2  प्रम्ताव संख्या 2  प्रमाण त्रामा क्रिकेट व्यक्त आज दिनाक 2441 अर्दिका 11 वर्ग क्रिकेट अर्था विकास क्रिकेट अर्था विकास क्रिकेट अर्था क्रिकेट अर्था क्रिकेट अर्था कर्म क्रिकेट अर्था कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म		वन अधिकार	समिति		
प्रस्ताव संख्या 2  प्रस्ताव संख्या 2  प्रस्ताव संख्या 2  प्रम्ताव संख्या 2  प्रमाण त्रामा क्रिकेट व्यक्त आज दिनाक 2441 अर्दिका 11 वर्ग क्रिकेट अर्था विकास क्रिकेट अर्था विकास क्रिकेट अर्था क्रिकेट अर्था क्रिकेट अर्था कर्म क्रिकेट अर्था कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म					
प्रस्ताव संख्या 2  प्रस्ताव संख्या 2  प्रस्ताव संख्या 2  प्रम्ताव संख्या 2  प्रमाण त्रामा क्रिकेट व्यक्त आज दिनाक 2441 अर्दिका 11 वर्ग क्रिकेट अर्था विकास क्रिकेट अर्था विकास क्रिकेट अर्था क्रिकेट अर्था क्रिकेट अर्था कर्म क्रिकेट अर्था कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म	9/1	मुहाल-तभा का नाम	cor/876 ming	Da	
प्रस्ताव संख्या 2  प्रस्ताव संख्या 2  प्रस्ताव संख्या 2  प्रम्ताव संख्या 2  प्रमाण त्रामा क्रिकेट व्यक्त आज दिनाक 2441 अर्दिका 11 वर्ग क्रिकेट अर्था विकास क्रिकेट अर्था विकास क्रिकेट अर्था क्रिकेट अर्था क्रिकेट अर्था कर्म क्रिकेट अर्था कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म		ग्राम पंचायत का नाम	35171181115	201	
प्रस्ताव संख्या 2  प्रस्ताव संख्या 2  प्रस्ताव संख्या 2  प्रम्ताव संख्या 2  प्रमाण त्रामा क्रिकेट व्यक्त आज दिनाक 2441 अर्दिका 11 वर्ग क्रिकेट अर्था विकास क्रिकेट अर्था विकास क्रिकेट अर्था क्रिकेट अर्था क्रिकेट अर्था कर्म क्रिकेट अर्था कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म		महाल सभा सदस्य संख	71 CTC	,, v,	
प्रस्ताव मंद्र्या १ प्रमाण के क्षिण के प्रस्ताव के क्ष्म के अपने के अ		उपस्थित सदस्य मंत्रका	1036		
मुश्न समा अस्ति के अध्यक्त है के अध्यक्त है की गई व उपरोक्त दुरात तमा की मणपूर्ति तिम्म प्रकार से हैं, जिसमें अपिती कि अध्यक्त हैं की गई व उपरोक्त दुरात तमा की मणपूर्ति तिम्म प्रकार से हैं, जिसमें अधितार की अध्यक्त से की जिसमें के उपरान्त हुए। गांववासियों के आवर्षनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रसादों के साथ प्रमुद्ध वस्तावेजों के अध्यक्त तथा उस पर विस्तुत घर्चा के उपरान्त निम्म प्रकार से कार्यवादी की गई। वन अधिकारों के प्रसादों के साथ प्रमुद्ध वस्तावेजों के अध्यक्त तथा उस पर विस्तुत घर्चा के उपरान्त निम्म प्रकार से कार्यवादी की गई। वन अधिकारों के प्रसादों के साथ प्रमुद्ध वस्तावेजों के अध्यक्त तथा उस पर विस्तुत घर्चा को उपरान्त निम्म प्रकार से कार्यवादी की गई। वन अधिकार का ब्यौदा कि साथ प्रमुद्ध वस्तावेजों के अध्यक्त से निम्मतिकार पात्रों को नाम जगल का नाम वन-अधिकार का ब्यौदा जिस से निम्मतिकार पात्रों को दावा नियमानुसार सही नहीं प्रचा पात्र गांव वार्ती के नाम विद्यानुसार मुझत समा की वन अधिकार सामिति के प्रसादों के मान प्रकार सकता की निम्मतिकार सामिति के प्रसादों के मान प्रकार की निम्मतिकार सामिति के प्रसाद के अनुसार बन्दों करने की निकारिस करती है। को भीवतार सामिति के प्रसाद के अनुसार बन्दों करने की निकारिस करती है। को भीवतार सामिति के प्रसाद के अनुसार बन्दों करने की निकारिस करती है। को भीवतार सामिति के प्रसाद के अनुसार बन्दों करने की निकार की मान की मान की अधिकार सामिति के प्रसाद के अनुसार बन्दों करने की निकार की मान की प्रचाद के अनुसार है। माने गए।  अधिकार सामिति के प्रसाद के अनुसार बन्दों करने की निकार है। प्रचाद की माने गए।  अधिकार सामिति के प्रसाद के मानविक एव परंपरान्त सीमार्थ वन विमाग के अमितके के अनुसार है। माने गए।  अधिकार सामिति के प्रसाद के सामिति के प्रसाद की माने गए।  अधिकार सामिति के प्रसाद कि निकार के अधिकार की सीमार्य के अमितके के अनुसार है। माने गए।  अधिकार सामिति के अधिकार सामिति के सामिति को अधिकार की सीमार्य के अधिकार की सीमार्य के अधिकार की सीमार्य के अधिकार की सीमार्य की सीमार्य की सीमार्य की सीमार्य की सीमार्य की अधिका			202		
मुश्न समा अस्ति के अध्यक्त है के अध्यक्त है की गई व उपरोक्त दुरात तमा की मणपूर्ति तिम्म प्रकार से हैं, जिसमें अपिती कि अध्यक्त हैं की गई व उपरोक्त दुरात तमा की मणपूर्ति तिम्म प्रकार से हैं, जिसमें अधितार की अध्यक्त से की जिसमें के उपरान्त हुए। गांववासियों के आवर्षनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रसादों के साथ प्रमुद्ध वस्तावेजों के अध्यक्त तथा उस पर विस्तुत घर्चा के उपरान्त निम्म प्रकार से कार्यवादी की गई। वन अधिकारों के प्रसादों के साथ प्रमुद्ध वस्तावेजों के अध्यक्त तथा उस पर विस्तुत घर्चा के उपरान्त निम्म प्रकार से कार्यवादी की गई। वन अधिकारों के प्रसादों के साथ प्रमुद्ध वस्तावेजों के अध्यक्त तथा उस पर विस्तुत घर्चा को उपरान्त निम्म प्रकार से कार्यवादी की गई। वन अधिकार का ब्यौदा कि साथ प्रमुद्ध वस्तावेजों के अध्यक्त से निम्मतिकार पात्रों को नाम जगल का नाम वन-अधिकार का ब्यौदा जिस से निम्मतिकार पात्रों को दावा नियमानुसार सही नहीं प्रचा पात्र गांव वार्ती के नाम विद्यानुसार मुझत समा की वन अधिकार सामिति के प्रसादों के मान प्रकार सकता की निम्मतिकार सामिति के प्रसादों के मान प्रकार की निम्मतिकार सामिति के प्रसाद के अनुसार बन्दों करने की निकारिस करती है। को भीवतार सामिति के प्रसाद के अनुसार बन्दों करने की निकारिस करती है। को भीवतार सामिति के प्रसाद के अनुसार बन्दों करने की निकारिस करती है। को भीवतार सामिति के प्रसाद के अनुसार बन्दों करने की निकार की मान की मान की अधिकार सामिति के प्रसाद के अनुसार बन्दों करने की निकार की मान की प्रचाद के अनुसार है। माने गए।  अधिकार सामिति के प्रसाद के अनुसार बन्दों करने की निकार है। प्रचाद की माने गए।  अधिकार सामिति के प्रसाद के मानविक एव परंपरान्त सीमार्थ वन विमाग के अमितके के अनुसार है। माने गए।  अधिकार सामिति के प्रसाद के सामिति के प्रसाद की माने गए।  अधिकार सामिति के प्रसाद कि निकार के अधिकार की सीमार्य के अमितके के अनुसार है। माने गए।  अधिकार सामिति के अधिकार सामिति के सामिति को अधिकार की सीमार्य के अधिकार की सीमार्य के अधिकार की सीमार्य के अधिकार की सीमार्य की सीमार्य की सीमार्य की सीमार्य की सीमार्य की अधिका			-20-2		
्रावृत्य समा की कि प्रशास के अध्यक्षता में भी गई व उपयोक्त दुस्त का गाम कि कि प्रशास के अध्यक्त में भी गई व उपयोक्त दुस्त का को गण्युति निम्न प्रकार से हैं. जिसमें को मान्या की वन अधिकार सामिति की सिफारिश के उपयोक्त हुए । गाववासियों के आदर्रेतों पर चर्च की गई । वन अधिकार से प्रस्तायों के साध प्रस्तायों के साध प्रस्तायों के अध्यनन तथा उस पर विस्तुत चर्चा के उपयोक्त हुए । गाववासियों के आदर्रेतों पर चर्च की गई । वन अधिकार से प्रस्तायों के साध प्रस्तायों के साध प्रस्तायों के अध्यनन तथा उस पर विस्तुत चर्चा के उपयोक्त निम्न प्रकार से कार्यवाही जी गई । वन अधिकार का स्थीरा कि साध पात्र गांव चाली के नाम जगल का नाम वन-अधिकार का स्थीरा पात्र गांव चाली के नाम जगल का नाम वन-अधिकार का स्थीरा पात्र गांव चाली के नाम प्रमान की नहीं पाया गया।  पात्र गांव वाली के नाम के अधिकार सामिति के प्रसाव के अनुसार बर्चा करने की सिकारित करती हैं।  अपात्र सामुवित के प्रसाव के अनुसार बर्चा करने की सिकारित करती हैं।  अपात्र सामुवित के प्रसाव के अनुसार बर्चा करने की सिकारित करती हैं।  अपात्र सामुवित के प्रसाव के अनुसार बर्चा करने की सिकारित करती हैं।  अपात्र सामुवित के प्रसाव के अनुसार बर्चा करने की सिकारित करती हैं।  अपात्र सामुवित के प्रसाव के प्रसाव के स्थापन के अधिकारों की साई पाया गाया एवं उस अधिकारों के बाथ को स्थीकार क्या गया। वन संसाधनों के मानिवत एवं परंपरागत सीमारें वन वित्राग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  अपात्र सामुवित कि प्रसाव की सामुवित का सिकारित कर सीमारें वन वित्राग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  अपाद्र सामुवित कि प्रसाव की सिकारित करने सीमारें वन वित्राग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  अपाद्र सामुवित कि प्रसाव की सीमारें के सिकारित के सीमारें के सीमारें के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  अपाद्र सामुवित कि सीमारें के सीमारें के सीमारें के सीमारें के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  अपाद्र सीमारें कि सीमारें के सी	प्रस्ताव संख्या 2 .		уіпіміч		
मुंहार संगा को कि कि कि के स्वाव के अनुसार बलोहरा के वो पाया नहीं का कि का मान्य के अनुसार करने हैं। अनिति के स्वाव के अनुसार बलोहरा के आप के साम के नाम अगर के हैं। जिस के अपनार के साम के अपनार के साम के अपनार के साम के अपनार के साम के अपनार के अपनार के साम के अपनार कि को सिकारिश के अपनार	7			दिनाक 94.	4-2016
अविकार कि अनुसार जनजाति व अन्य परस्तानात वन निवासी (इन अविकार) की मान्या) अविनियम 2006 से अंतर्गत इस मुहाल समा को वन अविकार सिनी की सिफारिश के उपरान्त हुए। गांवासियों के आदरेनों पर चर्चा की गई। वन अविकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावें को अध्यनन तथा एक पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निन्म प्रकार से कार्यवाही की गई—  कुल प्राप्त आवरेन—  कम संख्या  पात्र गांव वाली के नाम  जगल का नाम  वन-अविकार का बीरा  अपरान्त मंद्र वालों को मान वन-अविकार का बीरा  अपरान्त मंद्र से निम्मितिकार पात्रों का वाचा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:  कम संख्या  पात्र गांव वाली के नाम  अपरान करने की निम्मितिकार पात्रों का वाचा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:  अपरान्त समा इस वाले / इन दावों को निरस्त करने की निम्मिति करती है।  अपरान्त समा की वन अविकार सनिति से प्रारंत सुकान के अनुसार इस्कारिक का कि भी यन अविकार का दावा प्राप्त नहीं सा अविकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोस्त्त करने की निम्मित को अपरान के अनुसार वन्त सम्मिति के अपरान के अनुसार का समिति के अपरान के अनुसार की गई वाणिक वल अर्ज नक्सा वर्तन के वा वर्त समिति के वा वर्त समिति के अपरान के अनुसार की गई वाणिक कल अर्ज नक्सा वर्तन एवं वन वरोबस्त दिनोंट से किया गया। वन संसाधनों के मानविक्र एवं परप्तानत सीमाएँ वन विमाग के अनिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुस्त प्रति के मानविक्र एवं परप्तान सीमाएँ वन विमाग के अनिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुस्त प्रति के मानविक्र पर्त परप्तान सीमाएँ वन विमाग के अनिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुस्त स्वीव मुस्त स्वीव मुस्त सचिव मुस्त सचव सच सचिव मुस्त सचव	12119/60	*		1	/ -
अविकार कि अनुसार जनजाति व अन्य परस्तानात वन निवासी (इन अविकार) की मान्या) अविनियम 2006 से अंतर्गत इस मुहाल समा को वन अविकार सिनी की सिफारिश के उपरान्त हुए। गांवासियों के आदरेनों पर चर्चा की गई। वन अविकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावें को अध्यनन तथा एक पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निन्म प्रकार से कार्यवाही की गई—  कुल प्राप्त आवरेन—  कम संख्या  पात्र गांव वाली के नाम  जगल का नाम  वन-अविकार का बीरा  अपरान्त मंद्र वालों को मान वन-अविकार का बीरा  अपरान्त मंद्र से निम्मितिकार पात्रों का वाचा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:  कम संख्या  पात्र गांव वाली के नाम  अपरान करने की निम्मितिकार पात्रों का वाचा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:  अपरान्त समा इस वाले / इन दावों को निरस्त करने की निम्मिति करती है।  अपरान्त समा की वन अविकार सनिति से प्रारंत सुकान के अनुसार इस्कारिक का कि भी यन अविकार का दावा प्राप्त नहीं सा अविकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोस्त्त करने की निम्मित को अपरान के अनुसार वन्त सम्मिति के अपरान के अनुसार का समिति के अपरान के अनुसार की गई वाणिक वल अर्ज नक्सा वर्तन के वा वर्त समिति के वा वर्त समिति के अपरान के अनुसार की गई वाणिक कल अर्ज नक्सा वर्तन एवं वन वरोबस्त दिनोंट से किया गया। वन संसाधनों के मानविक्र एवं परप्तानत सीमाएँ वन विमाग के अनिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुस्त प्रति के मानविक्र एवं परप्तान सीमाएँ वन विमाग के अनिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुस्त प्रति के मानविक्र पर्त परप्तान सीमाएँ वन विमाग के अनिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुस्त स्वीव मुस्त स्वीव मुस्त सचिव मुस्त सचव सच सचिव मुस्त सचव	38/4 441 00/20	बैठक आज दिनाक 24	4216 00 11 80	6 3/2/1 1/2/10	chi
अविकार कि अनुसार जनजाति व अन्य परस्तानात वन निवासी (इन अविकार) की मान्या) अविनियम 2006 से अंतर्गत इस मुहाल समा को वन अविकार सिनी की सिफारिश के उपरान्त हुए। गांवासियों के आदरेनों पर चर्चा की गई। वन अविकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावें को अध्यनन तथा एक पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निन्म प्रकार से कार्यवाही की गई—  कुल प्राप्त आवरेन—  कम संख्या  पात्र गांव वाली के नाम  जगल का नाम  वन-अविकार का बीरा  अपरान्त मंद्र वालों को मान वन-अविकार का बीरा  अपरान्त मंद्र से निम्मितिकार पात्रों का वाचा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:  कम संख्या  पात्र गांव वाली के नाम  अपरान करने की निम्मितिकार पात्रों का वाचा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:  अपरान्त समा इस वाले / इन दावों को निरस्त करने की निम्मिति करती है।  अपरान्त समा की वन अविकार सनिति से प्रारंत सुकान के अनुसार इस्कारिक का कि भी यन अविकार का दावा प्राप्त नहीं सा अविकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोस्त्त करने की निम्मित को अपरान के अनुसार वन्त सम्मिति के अपरान के अनुसार का समिति के अपरान के अनुसार की गई वाणिक वल अर्ज नक्सा वर्तन के वा वर्त समिति के वा वर्त समिति के अपरान के अनुसार की गई वाणिक कल अर्ज नक्सा वर्तन एवं वन वरोबस्त दिनोंट से किया गया। वन संसाधनों के मानविक्र एवं परप्तानत सीमाएँ वन विमाग के अनिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुस्त प्रति के मानविक्र एवं परप्तान सीमाएँ वन विमाग के अनिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुस्त प्रति के मानविक्र पर्त परप्तान सीमाएँ वन विमाग के अनिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुस्त स्वीव मुस्त स्वीव मुस्त सचिव मुस्त सचव सच सचिव मुस्त सचव	श्रीनती राज्य भाग	की अध्यक्षता में की गई	व सपरोक्त सहास समा की	#####################################	10-21-2101
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर विस्तुत वर्षा के उपरान्त हुए। गोववासियों के आवदेनों पर चर्चा की गई। वन अधिकार के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर विस्तुत वर्षा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही थीं गई—  कम संख्या  पात्र गांव वाली के नाम  अन्य वाले कि नाम  अन्य वाले के नाम  अन्य गांव वालों के अनुसार कर्णविस्त करने की सिकारिश करती हैं।  अन्य गांव वालों को अनुसार कर्णविस्त करने की सिकारिश करती हैं।  अन्य गांव वालों के अनुसार कर्णविस्त करने की सिकारिश करती हैं।  अन्य गांव वालों के अनुसार कर्णविस्त कर्णविस्त करने की सिकारिश करती हैं।  अन्य गांव। वन संसाधनों के मानिधित्र एवं परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  अन्य गांव। वन संसाधनों के मानिधित्र एवं परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  अन्य पंचायत लिस कर्णविस्त कर्णविस्त कर्णविस्त करती हैं।  अन्य पंचायत लिस कर्णविस्त निम्न कर्णविस्त कर्णविस्त करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसारा के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार करती के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार करती के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती हैं।  अन	महाल को अनम्परिक जानारिक		a critical golder that day	गण्यूरा गिना प्रकार स ह, जि	ודויניון ובין צים ואו
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर विस्तुत वर्षा के उपरान्त हुए। गोववासियों के आवदेनों पर चर्चा की गई। वन अधिकार के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्यनन तथा उस पर विस्तुत वर्षा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही थीं गई—  कम संख्या  पात्र गांव वाली के नाम  अन्य वाले कि नाम  अन्य वाले के नाम  अन्य गांव वालों के अनुसार कर्णविस्त करने की सिकारिश करती हैं।  अन्य गांव वालों को अनुसार कर्णविस्त करने की सिकारिश करती हैं।  अन्य गांव वालों के अनुसार कर्णविस्त करने की सिकारिश करती हैं।  अन्य गांव वालों के अनुसार कर्णविस्त कर्णविस्त करने की सिकारिश करती हैं।  अन्य गांव। वन संसाधनों के मानिधित्र एवं परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  अन्य गांव। वन संसाधनों के मानिधित्र एवं परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  अन्य पंचायत लिस कर्णविस्त कर्णविस्त कर्णविस्त करती हैं।  अन्य पंचायत लिस कर्णविस्त निम्न कर्णविस्त कर्णविस्त करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसारा के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार करती के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती के प्रसार करती के प्रसार करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती हैं।  अन्य पंचायत लिस करती हैं।  अन	उवाल के अनुसूचित जनजात	व अन्य परम्परागत वन नि	नेदासी (दन अधिकारों की म	ान्यता) अधिनियम 2006 के अंत	र्गत इस महाल सभा
वहीं दावों का ब्यौरा—  बहीं दावों का व्यौरा—  बहीं दावों का व्यौरा—  बहीं दावों का व्यौरा—  बहीं दावों का वादा कि काम जिस्से करते हुए इसे उप—खण्ड की स्रोमित को प्रेषित करती है।  बहीं दावों का दावा कि वादा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:—  बहीं दावों का दावा कि वादा की नहीं पाया गया:—  बहीं दावों का दावा के नाम  बहीं दावों को निरस्त करने की सिकारित करती हैं।  बहीं दावों का वादा को अनुसार बर्चावर को अनुसार बहीं का वादा पारत नहीं का स्रोमित के प्रस्ताव के अनुसार बर्चावर के अनुसार बर्चावर की मान अधिकार सामिति के प्रस्ताव के अनुसार बर्चावर की अधिकार सामिति के प्रस्ताव के अनुसार बर्चावर की स्रोमित का स्रामित के नामित्र के अनुसार बर्चावर की दाव को स्रीकार का स्रामित्र का स्रामित्र के नामित्र के अनुसार ही माने गए।  बहात समा  सहित करती है।  बहात समा  बहात समा  बहात समा  बहात समा  सहित कर समा  सहित क	का का लालकार यानात का कि	भिगारश क उपरान्त हुए।	गावताचित्रों के अपन्ने में गर	mmf	V 30.11 (11)
कम संख्या पात्र गांव चाती के नाम जंगल का नाम वन—अधिकार का ब्यौरा  अन्य संख्या पात्र गांव चाती के नाम जंगल का नाम वन—अधिकार का ब्यौरा  अन्य संख्या पात्र गांव वातों को पारित करते हुए इसे उप—खण्ड की समिति को प्रेवित करती है।  अन्य गांव वातों के नाम  अन्य गांव वातों को नहीं पाया गया—  अन्य गांव वातों को निरस्त करने को सिकारित करती है।  अन्य गांव वातों के नाम  अन्य गांव वातों के नाम  अन्य गांव वातों को नाम  अन्य गांव वातों को नाम  अन्य गांव वातों के नाम  अन्य गांव वातों को अनुसार बन्दों स्ता के अनुसार ब्रह्मा के अनुसार ब्रह्मा की गांव वातों वाज्य जल अर्ज नक्सा बर्तन एवं वन बंदों करते रिगेंट में वित सामुदायिक बनाविकारों एवं सामुदायिक बन संसाधन के अधिकार की मार्व वाज्य जल अर्ज नक्सा बर्तन एवं वन बंदों करते रिगेंट में वित सामुदायिक बनाविकारों एवं सामुदायिक बन संसाधन के अधिकारों को सार्व पाया एवं उत्तर अधिकारों के सार्व के स्वाव वाज्य गांव मार्व संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमार्र वन विमान के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  अन्य गांव वा वा संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमार्र वन विमान के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  अन्य पाता वा वा संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमार्र वन विमान के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  अन्य पाता वा वा समा पंचायत सिव्य पुरुद्धान समा अन्य पंचायत सिव्य पुरुद्धान समार्थ के अनुसार हिम्मिक के अनुसार हिम्मिक के अनुसार हिम्मिक वा पंचायत सिव्य पुरुद्धान समार्थ के अनुसार हिम्मिक समार्थ के अनुसार हिम्मिक के अनुसार	प्रस्तत दस्तावेजों से अध्यनन त	शास्त्र गण जिल्ला सामि	ने	यथा का गई। वन आधकरा ह	र्ग प्रस्तावी के साध
कम संख्या पात्र गांव चाती के नाम जंगल का नाम वन—अधिकार का ब्यौरा  अन्य संख्या पात्र गांव चाती के नाम जंगल का नाम वन—अधिकार का ब्यौरा  अन्य संख्या पात्र गांव वातों को पारित करते हुए इसे उप—खण्ड की समिति को प्रेवित करती है।  अन्य गांव वातों के नाम  अन्य गांव वातों को नहीं पाया गया—  अन्य गांव वातों को निरस्त करने को सिकारित करती है।  अन्य गांव वातों के नाम  अन्य गांव वातों के नाम  अन्य गांव वातों को नाम  अन्य गांव वातों को नाम  अन्य गांव वातों के नाम  अन्य गांव वातों को अनुसार बन्दों स्ता के अनुसार ब्रह्मा के अनुसार ब्रह्मा की गांव वातों वाज्य जल अर्ज नक्सा बर्तन एवं वन बंदों करते रिगेंट में वित सामुदायिक बनाविकारों एवं सामुदायिक बन संसाधन के अधिकार की मार्व वाज्य जल अर्ज नक्सा बर्तन एवं वन बंदों करते रिगेंट में वित सामुदायिक बनाविकारों एवं सामुदायिक बन संसाधन के अधिकारों को सार्व पाया एवं उत्तर अधिकारों के सार्व के स्वाव वाज्य गांव मार्व संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमार्र वन विमान के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  अन्य गांव वा वा संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमार्र वन विमान के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  अन्य पाता वा वा संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमार्र वन विमान के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  अन्य पाता वा वा समा पंचायत सिव्य पुरुद्धान समा अन्य पंचायत सिव्य पुरुद्धान समार्थ के अनुसार हिम्मिक के अनुसार हिम्मिक के अनुसार हिम्मिक वा पंचायत सिव्य पुरुद्धान समार्थ के अनुसार हिम्मिक समार्थ के अनुसार हिम्मिक के अनुसार	3	ना जरा वर विस्तुत चर्चा	क उपरान्त निम्न प्रकार स	कार्यवाही की गई:-	
कम संख्या पात्र गांव द्यांची के नाम जगल का नाम वन-अधिकार का ब्यांच विद्यान करती है।  अपनेवत में से निम्मितिकत पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:  अपनेवत में से निम्मितिकत पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:  अपनेवत में से निम्मितिकत पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:  अपनेवत में से निम्मितिकत पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:  अपनेवत समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवत समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवत समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवत समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवत समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवत समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवता समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवता समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवता समा दावारिक का दावा प्राप्त नहीं  अपनेवता समा विवाद समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवता समा विवाद समा की वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं  अपनेवता समा विवाद समा की के मानिवत पूर्व कर अधिकारों के साव को स्वीकार के अपनेवता के अनुसार हो माने गए।  अपनेवता समा प्राप्त सिकार समा समा समा समा समा समा समा समा प्राप्त सिकार समा					
कम संख्या पात्र गांव द्यांची के नाम जगल का नाम वन-अधिकार का ब्यांच विद्यान करती है।  अपनेवत में से निम्मितिकत पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:  अपनेवत में से निम्मितिकत पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:  अपनेवत में से निम्मितिकत पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:  अपनेवत में से निम्मितिकत पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:  अपनेवत समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवत समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवत समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवत समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवत समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवत समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवता समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवता समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवता समा दावारिक का दावा प्राप्त नहीं  अपनेवता समा विवाद समा इस दावें / इन दावों को निस्त करने की सिकारिश क्रमती है।  अपनेवता समा विवाद समा की वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं  अपनेवता समा विवाद समा की के मानिवत पूर्व कर अधिकारों के साव को स्वीकार के अपनेवता के अनुसार हो माने गए।  अपनेवता समा प्राप्त सिकार समा समा समा समा समा समा समा समा प्राप्त सिकार समा		• 1	कल प्राप्त आवटेन:	1	
अपने को नाम वन-अधिकार का ब्योप अपने को नाम वन-अधिकार का ब्योप अपने को नाम वन-अधिकार का ब्योप अपने करती है। उपने विकास मां इस दावें / इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है। उपने विकास मां की वन अधिकार पात्रों का दावा निरस्त करने की सिकारिश करती है। अपने के वन अधिकार समिति से प्राप्त सुकात के अनुसार बन्दोबस्त के अनुसार बन्दोबस्त के अपने में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं अपने समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्सा बर्तन एवं वन बंदोबस्त रिवॉट में अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के अधिकारों को सही प्राया गया एवं उस्त अधिकारों के सानचित्र एवं परंपरागत सीमारें वन विमाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।  अपने कि निर्माण की समिति को प्रस्ताव के अपने के अधिकारों को सही प्राया गया एवं उस्त अधिकारों के दाव को स्वीकार केया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमारें वन विमाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।  अपने कि निर्माण की समिति को प्रस्ताव की समिति को प्रस्ताव की समिति को प्रस्ताव की समिति को समिति को प्रस्ताव की स्वीकार की समिति को प्रस्ताव की समिति को समिति को समिति को प्रस्ताव की स्वीकार केया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमारें वन विमाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।  अपने कि	सही दावों का ब्यौरा:	_	3	j	
अपने को नाम विस्ता प्राप्त का ब्रीण अपने को नाम विस्ता करते हैं। अपने को प्रेषित करती हैं। उपने विस्ता प्राप्त करते हैं। इसे उपने खण्ड की समिति को प्रेषित करती हैं। उपने संख्या पात्र गांव वासी के नाम जी वन अधिकार समिति से प्राप्त सुहाल सभा की वन अधिकार समिति के अनुसार बन्दोबस्त के अनुसार बन्दोबस्त के अधिकार समिति के प्रस्ता के अनुसार बन्दोबस्त स्थित में स्थाप गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमारें वन विमाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।  अधिकार समिति को प्रस्ता के अनुसार बन्दोबस्त स्थाप में साथ को सबीकार के अधिकार समिति को प्रस्ता के मानचित्र एवं परंपरागत सीमारें वन विमाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।  अधिकार समा अधिकार समिति के प्रस्ता के मानचित्र एवं परंपरागत सीमारें वन विमाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।  अधिकार समा अधिकार समिति के प्रस्ता के साविकार को सही प्राप्त समिति को अधिकार को स्थाप गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमारें वन विमाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।  अधिकार समिति को प्रस्ता कि स्थाप के साविकार को साविकार के अधिकार के अधिकार को साविकार के अधिकार के साविकार के अधिकार के साविकार के अधिकार के अधिकार के अधिकार के साविकार के अधिकार के अधिकार के अधिकार के अधिकार के अधिकार के अधिकार के साविकार के अधिकार के साविकार के अधिकार के अ					
अपने को नाम विस्ता प्राप्त का ब्रीण अपने को नाम विस्ता करते हैं। अपने को प्रेषित करती हैं। उपने विस्ता प्राप्त करते हैं। इसे उपने खण्ड की समिति को प्रेषित करती हैं। उपने संख्या पात्र गांव वासी के नाम जी वन अधिकार समिति से प्राप्त सुहाल सभा की वन अधिकार समिति के अनुसार बन्दोबस्त के अनुसार बन्दोबस्त के अधिकार समिति के प्रस्ता के अनुसार बन्दोबस्त स्थित में स्थाप गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमारें वन विमाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।  अधिकार समिति को प्रस्ता के अनुसार बन्दोबस्त स्थाप में साथ को सबीकार के अधिकार समिति को प्रस्ता के मानचित्र एवं परंपरागत सीमारें वन विमाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।  अधिकार समा अधिकार समिति के प्रस्ता के मानचित्र एवं परंपरागत सीमारें वन विमाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।  अधिकार समा अधिकार समिति के प्रस्ता के साविकार को सही प्राप्त समिति को अधिकार को स्थाप गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमारें वन विमाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।  अधिकार समिति को प्रस्ता कि स्थाप के साविकार को साविकार के अधिकार के अधिकार को साविकार के अधिकार के साविकार के अधिकार के साविकार के अधिकार के अधिकार के अधिकार के साविकार के अधिकार के अधिकार के अधिकार के अधिकार के अधिकार के अधिकार के साविकार के अधिकार के साविकार के अधिकार के अ	EH STRU	1 6			
प्रवानुसार यह मुहाल समा इस दावं/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है। उपरोक्त में से निम्निलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:—  हम संख्या  पात्र गांव वासी के नाम  पात्र गांव वासी के नाम  विमुद्धार मुहाल समा इस दावं/ इन दावों को निरस्त करने की सिकारिश करती है। आ।  म कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं आ।  म अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान हैयार की गई वाजिब उस अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बंदोबस्त रिगेंट में किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विमाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुहाल समा  पंचायत सचिव मुहाल (H. P.) भे मिलेश स्वानित स्वानित स्वानित से प्राप्त स्वानित सचिव।  पंचायत सचिव मुहाल समा  स्वानित समा  पंचायत सचिव मुहाल समा  स्वानित समा  पंचायत सचिव मुहाल समा  स्वानित करती है।  पंचायत सचिव मुहाल समा  स्वानित करती है।  सचित्र सच्या सचित्र सचित्र सचित्र सचित्र सचित्र सचित्र सचित्र सचित्र सच्या सचित्र सचित्र सचित्र सचत्र सचित्र सच्या सचित्र सचित्र सचित्र सच	र्म संख्या	त्रि गाव वासी के नाम	जंगल का नाम	वन-अधिकार का ब्यौरा	
विनुसार यह मुहाल समा इस दावे / इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है।  असरेवत में से निम्निलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:—  असरेवत में से निम्निलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:—  पात्र गांव वासी के नाम  पात्र गांव वासी के नाम  पात्र गांव वासी को निरस्त करने की सिकारिश करती है।  असरेवत सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करने की सिकारिश करती है।  असरेवत सभा की वन अधिकार सनिति से प्राप्त सूचना के अनुसार हान्यों की मान कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं आआ।  न अधिकार सनिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान दैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बंदोबस्त रिगॅट में मिंव सामुदायिक बनाधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को सड़ी भाया गया एवं उत्तत अधिकारों के दाव को स्वीकार कथा गया। वन संसाधनों के मानवित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विमाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुहाल समा  प्राप्त भागा में पंचायत सचिव मुहाल समा  प्रमायता सचिव सचलेकरती है।  प्रमायता सचिव करती है।  प्रमायता सचव सच्या सचक सचती है।  प्रमायता सचती है।  प्		91-21			
कम संख्या  पात्र गांव वासी के नाम  वानुसार मुहाल सभा इस वावं / इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती हैं। १०१८ में काई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं आ।  न अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोहस्तु के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एवं वन बंदोबस्त रिगेंट में किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एवं परंपरागत सीमारें वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुहाल सभा  प्राप्त निर्में के मानचित्र एवं परंपरागत सीमारें वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुहाल सभा  प्रमु पंचायत सचिव मुहाल सभा  प्रमु पंचायत सचिव  प्रमु प्रम			_1		
मान क्षांचिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब छल अर्ज नक्शा बर्तन एंव वन बंदोबस्त रिगेंट में भिर्म सामुदायिक वनाधिकारों एंव सामुदायिक वन संसाधन के अधिकरों को सही पाया गया एंव छक्त अधिकारों के दाव को स्वीकार क्या गया। वन संसाधनों के मानचित्र एंव परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुहाल सभा प्रमाप पंचायत सिमा	1 (104)	। पात्र गाव वासी	ि के नाम		
म अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब छल अर्ज नक्शा बर्तन एंव वन बंदोबस्त रिर्पोट में किया गया। वन संसाधनों पें सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को सही पाया गया एंव छक्त अधिकारों के दाव को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एंव परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार साम प्रमापत सीमाएं वन विभाग सीमाएं विभाग सीमाएं विभाग सीमाएं व		-77			
म अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब छल अर्ज नक्शा बर्तन एंव वन बंदोबस्त रिर्पोट में किया गया। वन संसाधनों पें सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को सही पाया गया एंव छक्त अधिकारों के दाव को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एंव परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार साम प्रमापत सीमाएं वन विभाग सीमाएं विभाग सीमाएं विभाग सीमाएं व		2/	-21	B	
म अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब छल अर्ज नक्शा बर्तन एंव वन बंदोबस्त रिर्पोट में किया गया। वन संसाधनों पें सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को सही पाया गया एंव छक्त अधिकारों के दाव को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एंव परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार साम प्रमापत सीमाएं वन विभाग सीमाएं विभाग सीमाएं विभाग सीमाएं व					
म अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब जल अर्ज नक्सा बर्तन एंव वन बंदोबस्त रिगेंट में किया गया। वन संसाधनों पें सामुदायिक वन संसाधन के अधिकरों को सही पाया गया एंव जल्त अधिकारों के दाव को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एंव परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुहाल सभा प्रमाप पंचायत स्वीविव प्रमाप पंचायत स्वीविव स्वाव के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुहाल सभा प्रमाप पंचायत स्वीविव स्वाव के अपित स्वाव स्व स्वाव स्वा	विग्नुसार मुहाल सभा इस दावे	/ इन दावों को निरस्त त	करने की जिफा <del>रिश करती है</del>		
म अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब छल अर्ज नक्शा बर्तन एंव वन बंदोबस्त रिर्पोट में किया गया। वन संसाधनों पें सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को सही पाया गया एंव छक्त अधिकारों के दाव को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एंव परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुझल समा प्रमापत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार साम प्रमापत सीमाएं वन विभाग सीमाएं विभाग सीमाएं विभाग सीमाएं व	ल मुहाल सभा की वन अधिका	र समिति से पाटन जनक		1219/8.0.	
न अधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुसार बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब जल अर्ज नक्शा बर्तन एंव वन बंदोबस्त रिर्पोट में पिंत सामुदायिक वनाधिकारों एंव सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को सही पाया गया एंव जक्त अधिकारों के दाव को स्वीकार किया गया। वन संसाधनों के मानचित्र एंव परंपरागत सीमाएं वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुहाल समा प्रमाप पंचायत सिवा पंचायत सिवा पंचायत सिवा प्रमाप पंचायत सिवा पंचायत सिवा प्रमाप पंचायत सिवा प्रमाप पंचायत सिवा पंचायत सिवा पंचायत सिवा प्रमाप पंचायत सिवा पंचायत	आ।	and a set of day	पा जातार हुसल्एल	में कोई भी वन अधिकार	का दावा प्राप्त नहीं
मान जानिक एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुहाल सभा प्राम पंचायत.  प्रमादां (H. P.) ।  प्रमादां के सानिवित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुहाल सभा प्रमा पंचायत.  प्रमादां (H. P.) ।  Assistant Engineer Jal Shakti Sub-Div  Jal Shakti Sub-Div	न अधिकार स्मिति 🗎 🕶	<u> </u>	1.1		
मान जानिक एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुहाल सभा प्राम पंचायत.  प्रमादां (H. P.) ।  प्रमादां के सानिवित्र एवं परंपरागत सीमाएँ वन विभाग के अमिलेख के अनुसार ही माने गए।  पंचायत सचिव मुहाल सभा प्रमा पंचायत.  प्रमादां (H. P.) ।  Assistant Engineer Jal Shakti Sub-Div  Jal Shakti Sub-Div	ा जानपार सानात के प्रस्ताव	क अनुसार बन्दोबस्तू के	दौरान तैयार की गई वाजि	ब उल अर्ज नक्शा बर्तन एंट ट	ਜ ਗੰਗੀਗਰ ਹਿਜੀਤ ਜੋ
पंचायत सचिव पुडाल सभा प्रमापंचायत आकादां (H. P.) ।  प्रमापंचायत सचिव पुडाल सभा प्रमापंचायत आकादां (H. P.) ।  प्रमापंचायत आकादां (H. P.) ।  अविकादां (H. P.) ।  अविकाद	ाणत सामुदाायक वनाधिकारो ए	व सामुदायिक वन संसा	धन के अधिकरों को मही	पासा रासा एंट जट्ट अधिकारे	7
पंचायत सचिव मुहाल सभा प्रमायत सचिव मुहाल सभा प्रमायत पंचायत सचिव महालंका अपने (H. P.) प्रमायत सचिव प्रमायत सचिव महालंका अपने (H. P.) प्रमायत सचिव प्रमायत सचिव महालंका अपने (H. P.) प्रमायत सचिव प्रमायत सचिव महालंका अपने (H. P.) प्रमायत सचव	व्या गया। वन संसाधनों के मा	निचित्र एवं परंपरागत की	ਸਮੇਂ ਕਰ ਕਿਆਰ → ⊶ਿ—ੇ	न ० ०५० आवकारा	क दाव का स्वाकार
प्रांत कार्या कर्णा करा कर्णा कर्णा करा कर्णा कर्णा कर्णा कर्णा कर्णा करा करा कर्णा करा कर्णा कर्णा करा करा करा कर्णा करा करा करा करा करा करा करा करा करा कर		3 - 3 - 1 St 1St S1D)	गर पन ।पनान क लानलख	के अनुसार हो मान गए।	
मुहाल सभा आम पंचायत Mandipal Council Municipal Council Municipal Council Municipal Council Municipal Council Mandi (H. P.)					
मुहाल सभा आम पंचायत Mandipal Council Municipal Council Municipal Council Municipal Council Municipal Council Mandi (H. P.)				- (	
मुहाल सभा आम पंचायत Municipal Council Municipal Council Municipal Council Municipal Council Municipal Council Municipal Council Mandi (H. P.) When the standard of the standa					1
And (H. P.) Wand (H. P.)				पंचायत सचिव	le -
Municipal Council  Wandi (H. P.) M  Assistant Engineer  Jal Shakti Sub-Div  Jast Mardi (H.P.)				ਸਵਾਲ ਦਾਮਾ	
Municipal Council  Wandi (H. P.) M  Assistant Engineer  Jal Shakti Sub-Div  Jast Mardi (H.P.)	1201. 201	0/57		ਸਵਾਲ ਦਾਮਾ	
Municipal Council  Wandi (H. P.) M  Assistant Engineer  Jal Shakti Sub-Div  Jast Mardi (H.P.)	यान लाका भग	19187		मुहाल सभा ग्राम पंचायत	nicipal Counci
Municipal Council  Mandi (H. P.) M  Are Sted  Forest Kignt Committee  Revenue, Vill.  Jal Shakti Sub-Div  Jast Mardi (H.P.)	मन लाका २५५	19187		मुहाल सभा ग्राम पंचायत	nicipal Counci
Municipal Council  Mandi (H. P.) M  Are Sted  Forest Kignt Committee  Revenue, Vill.  Jal Shakti Sub-Div  Jal Shakti Sub-Div  Jal Shakti Sub-Div	यान लाका यान २५-५-	79157		मुहाल सभा ग्राम पंचायत	nicipal Counci
Municipal Council  Mandi (H. P.) M  Are Sted  Forest Kignt Committee  Revenue, Vill.  Jal Shakti Sub-Div  Jast Mardi (H.P.)	नाक थाना २५-५-	19187 2016		मुहाल सभा ग्राम पंचायत	nicipal Counci
Municipal Council  Mandi (H. P.) M  Are Sted  Forest Kignt Committee  Revenue, Vill.  Jal Shakti Sub-Div  Jast Mardi (H.P.)	यान लाका भागा नाक २५-५-	19187 2016		मुहाल सभा ग्राम पंचायत	nicipal Counci
Affection of American Accommittees  Assistant Engineer Assistant Engineer Assistant Engineer Dist Mardi (H.P.)  Jal Shakti Sub-Div	धान लाका भागा नाक २५-५-			मुहाल सभा ग्राम पंचायत	nicipal Counci
Affection of American Accommittees  Assistant Engineer Assistant Engineer Assistant Engineer Dist Mardi (H.P.)  Jal Shakti Sub-Div	धान लाका भाग नाक २५-५-	£		मुहाल सभा ग्राम पंचायत	nicipal Counci
Assistant Engineer Revenue, Vill.  Jal Shakti Sub-Div  Jast Mardi (H.P.)	थान लाका भाग नाक २५-५-	£		मुहाल सभा ग्राम पंचायत	nicipal Counci
Assistant Engineer Revenue, Vill.  Jal Shakti Sub-Div Dist Mardi (H.P.)	थान अश्वित भग रंनाक २५-५-	£r Mu	indicipal Council	मुहाल सभा प्राम पंचायत.	alcipal Counci
Jal Shakti Sub-DivI Dist Mardi (H.P.)	थान अश्वित भग्ने रंनाक २५-५-	£r Mu	indicipal Council	मुहाल सभा प्राम पंचायत.	alcipel Counci
Jai Snaka Sab Division	थान व्यक्ति भग	£r Mu	indi (B. P.) h	मुहाल सभा ग्राम पंचायत	alcipal Counci
Jai Snaka Sab Division	थान अश्वित भग	£r Mu	indi (B. P.) h	मुहाल सभा ग्राम पंचायत	alcipel Counci
44 - 4: (4.173)	थान लाजा ७००	£r Mu	indi (H. P.) M	मुहाल सभा प्राम पंचायत कर के किया किया के किया के किया के किया किया किया किया किया किया किया किया	alcipal Counci
	धान लाका भाग नाक २५-५-	£r Mu	indi (H. P.) M	मुहाल सभा प्राम पंचायत कर के किया किया के किया के किया के किया किया किया किया किया किया किया किया	alcipal Counci
	धान लाका भाग २५-५-	£r Mu	indi (H. P.) M	मुहाल सभा प्राम पंचायत चित्रकार Forest Ki Revenue ti Sub-DivI	alcipal Counci

## M.

## OFFICE OF THE SDO (CIVIL), MANDI (URBAN) DISTRICT MANDI H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub Division Level Committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Mandi (Urban) Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Nivedita Negi, IAS SDO (Civil), Mandi (Urban) on dated Andrew At Mandi. Under Forest Rights Act, 2006 the following projects in which Forest Rights Committees (FRC's) were constituted are discussed and screened in the Sub Division Level Committee:-

1.) Regarding Severage Scheme in Mandi Town.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, the claims of the above mentioned FRCs in said projects were found to be in order by the Sub-Division Level Committee and recommended the same for admission to the District Level Committee:-

r. No. Name of the Applicant	Name of the Forest	Detail of the Forest Rights
1 2	NANA	
Claim of the following app	olicants were not found in orde	er and rejected:-
Sr. No. Name of the Applicant	Name of the Forest	Detail of the Forest Rights
1	NANA	

As informed by MuhalSabha of concerned projects as mentioned above, no application of claiming rights in Forest area was received.

It was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in NakshBartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6 (3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, National Parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest

resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District level Committee.

Place: Mandi

Date:-

SDO(Civil)-Cum-Chairmanship/Chairpersonship

SDLC, Mandi(Unban), District Mandi H.P.

Assistant Engineer
Jal Shakti Sub-Div.-I

Mandi (H.P.)

### Annexure-V

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियिम, 2006
ग्राम सभा न्या थारियद केरी
विकास खण्ड
प्रतिलिपि प्रस्ताव दिनांक 29.7-2020
गणपूर्ति ।//। प्रस्ताव संख्या था (ग)
C C
विषय: जार की कि भाग (विमाग / संस्था को गूल जिलाक कि कि कि कि के विमाग के कि
निर्माण हेतु अर्रावित कर्जिक हैक्ट्रेयर वन मूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।
ग्रम सभा नागा यादिष्ट् की बैठक आज दिनाक 29.7-2022 को 11 बजे स्थान भेडिए मार्ग के ग्रह की गई जिसमें टालबगाल जिया विमाग संस्था को गर्वा किया मार्ग के गर्वा के प्राप्त के गर्वा के गर्वा के प्राप्त के गर्वा के प्राप्त के गर्वा के प्राप्त के प्रा
निर्माण हेतु
के मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।
सभी ग्रमवासियों में सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तादित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्वसम्मति
से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम संभा उपशेक्त प्रस्ताय के लिए वन भूभि दिए जाने पर सहमत है।
ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006
के अंतर्गत वन अधिकरों के दावों के निपटारे पर चर्चा की गई तथा सर्दसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त
अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर की गई है तथा प्रस्तावित 10.0402 है वटेयर वन भूमि को राज िमाण
हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की पहिमति दी जाती है।
बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा बर्तन एंव वन बन्दोबस्त रिर्पोट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकरों
एंव सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को जांचा गया एवं नुहाल समा को निर्णय हेतू प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के
मानचित्र एंव परंपरागत सीमाऐं वन विभाग के अभिलेख के अनुसार ही माने गए।
स्थान भे
दिनाक २१. २-२-२)
X and Office I
Fradhan Mandi In.
Revenue, Vill.
Dist Mandi (H.P.)
Jal Shakti Sub-Div.
Mandi (H.P.)

## OFFICE OF THE SDO (CIVIL), MANDI (URBAN) DISTRICT MANDI H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub Division Level Committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Mandi (Urban) Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Nivedita Rights Act, 2006 the following projects in which Forest Rights Committees (FRC's) were constituted are discussed and screened in the Sub Division Level Committee:-

1.) Regarding Severage Scheme in Mandi Town.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, the claims of the above mentioned FRCs in said projects were found to be in order by the Sub-Division Level Committee and recommended the same for admission to the District Level Committee:-

Sr. No. Name of the Applicant	Name of the Forest	Detail of the Forest Rights
1	NANA	
Claim of the following app	olicants were not found in ord	er and rejected:-
Sr. No. Name of the Applicant	Name of the Forest	Detail of the Forest Rights
2	NA/NA/	
As informed by MuhalSabha of c	oncerned projects as mention	ned above, no application

ofclaiming rights in Forest area was received.

It was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in NakshBartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6 (3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests, National Parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District level Committee.

Place: Mandi

Date:-

SDO(Civil)-Cum-Chairmanship/Chairpersonship SDLC, Mandi(Unban), District Mandi H.P.

Jal Shakti Sub-Div.-I

Mandi (H.P.)

#### Annexure-V

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन	। अधिकारों की मान्यता) अधिनियिम, 2006
ग्राम सभा -72/1	गटिकद् रां
	जिला मण्डी (हि.प्र.)।
-	
प्रतिलि	पि प्रस्ताव दिनांक 29->->->
गणपूर्ति11/15.	प्रस्ताव संख्या 211 (11)
विषय:- जाल ह्याका किया (विभा	ग/संस्था को माल रिन्सानि योज रा निर्देश
निर्माण हेतु	तावित हैक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।	
याम सभा निर्माण होतु की बैठक आज दिनाक में की गई जिसमें निर्माण हेतु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्ता	99.72020 को 11 बजे स्थान जिंडी ग/संस्था को 40 जल जिंजीज सिजेश जिंडी शहर के वित 0.0593 हैक्टेयर दन भूमि के उपयोग
के मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।	
सभी ग्रमवासियों में सम्बन्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु	
से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम संमा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए	वन भूभि दिए जां। पर सहमत है।
ग्राम समा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्पर	
के अंतर्गत वन अधिकरों के दावों के निपटारे पर चर्चा की	गई तथा सर्दसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त
अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे स	बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है कर ली गई है स्थार नियामी स्थानिक के किस्सिक में किसील निर्माण
हेतु उपयोगं के लिए ग्राम सभा कार्गापरिष्ठ ह	ी सहमति दी जाती है।
	ं क्यांकर्ण कर्म में क्यांक समाधिकर्ण
बन्दोबस्त के दौरान तैयार की गई वाजिब उल अर्ज नक्शा ब	र्तन एंव वन बन्दोबस्त रिपोंट में वर्णित सामुदायिक वनाधिकरों
	मुहाल समा को निर्णय हेतू प्रेषित किया गया। वन संसाधनों के
मानचित्र एंव परंपरागत सीमाऐं वन विमाग के अभिलेख के अनु	सार ही मान गए।
स्थान कें	
0000	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
दिनाक 29-1-2000	the comost
	Ald Aldi
\$77	edhan Mandi (H. P.) h
Fo	rest Kignt Committee Alle Ale
* <del>*</del>	Mandi (HP)
11	Accietant Engineer
	Jal Shakti Sub-Liv.
	Mandi (H.P.)

## CHECKLIST NO.17

## "SITE SPECIFIC COMPENSATORY PLANTATION SCHEME"

Detail scheme for Compensatory Afforestation for 100 trees to be carried out in the lieu of 0.3253 ha, (less than 1.00 ha.) of diversion of forest area in favour of Executive Engineer, Jal Shakti Division, Mandi. Diversion of 0.3253 ha. of forest land for augmentation of sewerage scheme for Mandi town and providing sewerage facility to its adjoining villages of Mandi town in Distt. Mandi (H.P.) jurisdiction of Mandi Division.

## 1. Detail of degraded forest/Non forest land:-

District:

Tehsil:

Name of Division:

Name of Forest Range:

Name of Block:

Name of Forest:

Compartment/Survey No.

Plants to be planted

Mandi.

Sadar

Mandi

Panarsa

Shiva Badar

Nagdhar DPF (land bank)

53E/2/NW

650

2.Description of area:-

(i) Whether the site selected for CA is land bank or not

Yes.

(ii) If the CA site is other than land bank, reason be given

(iii) In case of non forest area indentified for CA than what is -

the

Clay loam

(iv) Soil Type

(v) Topography

(a) Hilly/Universal/Plain:-

(b) Slope; steep/Medium/ Gentle:-(vi) Whether the area is bearing any root stock of vegetation:-

Hilly Medium

Bushes

## 3. Plantation Model:-

Copy of approved Compensatory Afforestation scheme/model showing component wise physical and financial break up to be enclosed.

4. Schedule of Plantation Programme as per approved cost model for 1 ha. Block plantation with

Detail of breakup of requirement of funds for CA plantation (block Plantation) for the 500 tall plants per ha. diversion of 0.3253 ha of forest land for the augmentation of Sewerage Scheme for Mandi Town and providing sewerage facility to its adjoining villages of Mandi Town, Tehsil Sadar, Mandi H.P.

der tu	e jurisdiction of Mandi Particular of works	Approved Rate 500 Tall Plants/Ha.	COST OI PULL	Plants (in 1 numbers) 1	Total amount of 00 Plants
	Survey, Demarcation		69.2	650	44980
	& Fencing	7	244.0	650	173420
	Planting	1,33,400/-	266.8	Total (A+B)	218400
	76 1 4 2 2 2 2 2				12350
	Maintenance	9500/-	19	650	
	1 <sup>st</sup> Year	4800/-	9.6	650	6240
0	2 <sup>nd</sup> Year	4800/-	9.6	650	6240
and the second	3 <sup>rd</sup> Year		5.8	650	3770
	4 <sup>th</sup> Year	2900/-	5.8	650	3770
	5 <sup>th</sup> Year	2900/-	4	650	2600
	6 <sup>th</sup> Year	2000/-		650	2600
	7 <sup>th</sup> Year	2000/-	4	650	2600
	8th Year	2000/-	4	650	2600
	9th Year	2000/-	4	650	2600
	10th Year	2000/-	4	Total-C	45370
				Total (A+B+C	2) 263770
D					2,63770
	Increase (100%)				527540
-	Total	•	F		26377
E	5% of all above.				
	Total				96935
F	Departmental charge	es(a) 17.5%	Grand Total		650852

### 1. Technical Detail:-

Technical detail of compensatory afforestation is as under:-

- (a) General detail: The area shall be closed to improve the vegetation cover in the locality to enhance the moisture and water table.
- (b) Spacemen:-Pits of size 90x90x90cm.
- (c) Species:-Broad leave.
- (d) Plantation Method:-Pit planting method.
- (e) Soil & moisture conservation works:-Small scale engineering works shall be carried out for the
- (f) Protection: RCC fence post fencing & people participation.
- (g) Proposed Monitoring Mechanism:-As per guidelines.

Deputy Conservator of Forests. Mandi Forest Division, Mandi. H.P

